वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT
1993-94

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govts. Publications
Acc. No. RC....90100(4)
Date.........12/12/94

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय
1.	अध्याय-1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसकी स्थापना और उपलब्धियां
2.	अध्याय-2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य
3.	अध्याय-3 खाद्यान्न मिलिंग उद्योग
4.	अध्याय-4 उपभोक्ता खाद्य उद्योग
5.	अध्याय-5 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण
6.	अध्याय-6 दूध व दूध से बने उत्पाद
7.	अध्याय-7 मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण
8.	अध्याय-8 गहन समुद्री मात्स्यिकी
9.	अध्याय-9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

CONTENTS

S.No.	Particulars
1.	Chapter I Ministry Of Food Processing Industries, Its Establishment And Achievements
2.	Chapter II Structure And Functions Of The Ministry Of Food Processing Industries
3.	Chapter III Food Grain Milling Industries
4.	Chapter IV Consumer Food Industries
5.	Chapter V Fruits And Vegetable Processing Industries
6.	Chapter VI Milk & Milk Products
7.	Chapter VII Meat and Poultry Processing
8.	Chapter VIII Deep Sea Fishing
9.	Chapter IX Public Sector Undertakings

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्थापना और उपलब्धियां

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

अध्याय - 1

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - इसकी स्थापना और उपलब्धियां

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर बल देने के लिए जुलाई, 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। कृषि के विविधीकरण और वाणिज्यीकरण, ग्रामीण आय और ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाने, मूल्यवर्धन तथा अतिरिक्त उत्पाद को निर्यात के लिए तैयार करने के लिए एक सुदृढ़ और प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्व रखता है। इस मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैः—

1. फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (फ्रीजिंग और डी—हाइड्रेसन सहित)।
2. खाद्यान्न मिलिंग उद्योग।
3. दूध का पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेंस्ड दूध, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद।
4. पाल्ट्री और अण्डों, मांस तथा मांस उत्पादों का प्रसंस्करण तथा रेफ्रीजेरेशन।
5. मछली का प्रसंस्करण (डिब्बा—बंदी और फ्रीजिंग सहित)।
6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित विकास परिषदों की स्थापना और व्यवस्था।
7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता और परामर्श।
8. समुद्री सीमा के आगे के क्षेत्र में मछली पकड़ना और मात्स्यिकी।
9. ब्रेड, तिलहनों, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, कन्फैक्शनरी (कोको प्रसंस्करण और चाकलेट उत्पादन सहित) माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, हाई प्रोटीन फूड, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थों (अन्य तैयार खाद्य पदार्थों सहित) से संबंधित उद्योगों के लिए योजना तैयार करना, उन पर नियंत्रण रखना और उन्हें सहायता प्रदान करना।
10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।
11. गैर—एल्कोहालिक बीयर सहित बीयर।
12. गैर—शीरे के बेस से एल्कोहालिक पेय।
13. वातित जल/साफ्ट ड्रिंक्स तथा अन्य प्रसंस्कृत खाद्य।

आर्थिक उदारीकरण के इस नए युग में मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश करने, निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए एक सामान्य वातावरण तैयार करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। इसके लिए मंत्रालय निजी पहल को प्रोत्साहन दे रहा है और उसने पूंजी निवेश और विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

अगस्त, 1991 से जनवरी 1994 के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के मार्फत पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 31759 करोड़ रू० का पूंजी निवेश किया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान सरकार ने 6,300 करोड़ रुपया मूल्य से अधिक के विभिन्न प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। प्रस्तुत किए गए अधिकांश औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों से पता चलता है कि उद्यमों को गैर नगरीय क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें से लगभग 45% पूंजी—निवेश पिछड़े क्षेत्रों में किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से कुछ

Chapter I

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES, ITS ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS

The Ministry of Food Processing Industries was set up in July, 1988 with a view to give a thrust to the development of the food processing industries in the country. A strong and effective food processing sector is considered important for diversification and commercialisation of agriculture, improving rural income and rural employment, value addition, and generation of surplus for export. The subject allocated to this Ministry are as under :

i) Fruits & vegetable processing Industry (including freezing and dehydration).

ii) Foodgrain milling industry.

iii) Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, ghee etc.

iv) Processing and refrigeration of poultry and eggs, meat and meat products.

v) Processing of fish (including canning and freezing).

vi) Establishment and servicing of the Development Councils for food processing industries.

vii) Technical assistance and advice to food processing industry.

viii) Fishing and fisheries beyond territorial waters.

ix) Planning, development and control of, and assistance to industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

x) Specialised packaging for food processing industries.

xi) Beer, including non-alcoholic beer.

xii) Alcoholic drinks from non-molasses base.

xiii) Aerated waters/soft drinks and other processed foods.

प्रस्तावों को कार्यान्वित कर दिया गया है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। अनुमान है कि अगर इन सभी प्रस्तावों को लागू किया जाता है तो 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और इनसे मिलने वाला अप्रत्यक्ष रोजगार तो कहीं अधिक होगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने केवल चाकलेट और माल्टेड फूड को छोड़कर जिसमें वृद्धि दर वांछित स्तर ही नहीं है, अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि के रूख को बनाए रखा।

इस मंत्रालय द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के फलस्वरूप अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटे हलरों के आधुनिकीकरण की गति में थोड़ी तेजी आई है और 1 जनवरी, 1993 को 32,969 आधुनिकीकृत चावल मिलों की तुलना में 1.1.94 को इन चावल मिलों की कुल संख्या 33,557 थी। इन आधुनिक तथा आधुनिकीकृत मिलों से अधिक चोकर प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुमान है कि 1970 में 1.87 लाख टन और 1992 में 26.05 लाख टन चोकर की तुलना में 1993 में 30.19 लाख टन चोकर का प्रसंस्करण किया गया।

क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र ने मिलिंग उद्योग को आवश्यक तकनीकी सहायता देना और अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि आयोजित करना जारी रखा। उपस्करों की जांच, मशीनरी के चयन, परिचालन और अनुरक्षण के लिए मशीनरी निर्माताओं और मिलरों को 4 प्रशिक्षण केन्द्रों से आवश्यक सहायता मिलती रही। तंजाबूर स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र चावल प्रसंस्करण और सह उत्पादों के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं जैसे सुखाना, भंडारण, सेलीकरण विधि, मिलिंग, चोकर स्थिरीकरण, तैल निकालने आदि पर मूल अनुसंधान कार्य करता है।

चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है :

(क) चावल मिलिंग के लिए कम रगड़ वाली हलर का मानकीकरण, पूर्णता और प्रचार

(ख) रासायनिक उपचार और प्रक्रिया संशोधन द्वारा शीघ्र पकने वाले चावल का उत्पादन

खाद्य प्रसंस्करण के इंजीनियरी पहलू के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में एक खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की स्थापना के लिए कदम उठाये हैं। यह केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करेगा

(1) नये उत्पादों का विकास।

(2) प्रसंस्करण का विकास, उन्नयन और उसे अधिकतम बनाना।

(3) संयंत्र की खराबियों और समस्याओं को दूर करना।

(4) संयंत्र और मशीनरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना और आंकड़े बनाना।

(5) विशेष प्रकार के संयंत्र के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(6) सम्पूर्ण परियोजनाओं के लिए टर्नकी आधार पर कार्य।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान लगभग 48 नई रोलर आटा मिलों को चालू किया गया है। गेहूं पहले से अधिक मिलने के कारण रोलर आटा मिलों की लगभग 55% क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में 4 मौजूदा यूनिटों के रूपान्तरण और 4 नई

In this new era of economic liberalisation, the Ministry has undertaken itself to act as a catalyst for getting investment into food processing sector, encouraging exports and creating a general atmosphere for a healthy growth of the food processing industry. Ministry is encouraging private initiative in this regard and has undertaken the role of a facilitator for investment and growth.

Investment proposals through Industrial Entrepreneurs Memoranda(IEM) for Rs.31759 crores have been received since August, 1991 till January, 1994. During the period, Government have also approved various proposals worth over Rs.6,300 crores. Majority of the IEMs filed indicates that the industries are proposed to be setup in non-urban areas. About 45% of these investments are proposed to be made in the backward areas. Some of these proposals have already been implemented and commercial production started. It is estimated that if all these proposals are implemented, direct employment of over 5 lakh persons would be created, the indirect employment, of course, would be much larger.

In the year under report, the food processing industries maintained a positive growth trend except for chocolates and malted foods where the growth rate has not been of the desired level.

In the grain processing sector, due to sustained effort of this Ministry, pace of modernisation of small hullers has increased slightly and the total number of modernised rice mills as on 1.1.94 was recorded to be 33,557 as against 32,969 as on 1st January, 1993. As a result of improved availability of bran from these modern and modernised mills, the processing of bran is estimated to be 30.19 lakh tons in 1993 as against 1.87 lakh tons in 1970 and 26.05 lakh tons in 1992.

The Regional Extension Service Centres and the Post Harvest Technology Centre at Indian Institute of Technology, Kharagpur continued to provide requisite technical assistance to the milling industry and conduct short duration training courses, etc. Four testing centres provided necessary assistance to the machinery manufactures and millers for testing of equipment, selection and operation and maintenance of machinery. The Paddy Processing Research Centre at Thanjavur undertakes basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction, etc. During the current year, the projects on hand are:

i) Standardization, perfection, and propagation of low friction huller for rice milling.

ii) Production of quick cooking rice by chemical treatment and process modification.

To meet the growing demand for engineering aspects of the food processing, the Ministry has taken steps to set up a Food Engineering Centre to be located at Central Food Technological Research Institute, Mysore. The Centre will work inter-alia in the following areas:-

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 23 करोड़ रू० का पूंजी निवेश किया जाएगा और 650 लोगों को रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने "दाल – मिलिंग उद्योग की समस्याएं और भविष्य' संबंधी अध्ययन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह अध्ययन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था ताकि समस्याओं का बारीकी से पता लगाया जा सके और अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए इस उद्योग के आधुनिकीकरण के उपायों के बारे में सुझाव प्राप्त किए जा सकें। आगे और कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय में रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। दाल मिलिंग क्षेत्र में भी आयातित दालों के प्रसंस्करण के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों के 3 मामलों में मंजूरी दी गई है। इनमें 75.75 लाख रू० का पूंजी निवेश किया जाएगा तथा लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा।

उपभोक्ता उद्योग में अधिक प्रोटीन के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई है। एक्सट्रूडिड फूड ने भी वृद्धि की दर को बनाए रखा है। शराब तथा पेय पदार्थों के उत्पादन में भी वृद्धि के रूख को बनाए रखा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उपभोक्ता उद्योग क्षेत्र में, विदेशी सहयोग और विदेशी इक्विटी भागीदारिता के 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । इनमें लगभग 300 करोड़ रू० का पूंजी निवेश किया जाएगा।

फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित क्षमता जो कि 1.1.93 को 11.08 लाख टन थी, 1.1.94 को बढ़कर 12.60 लाख टन हो गई है।

फल उत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त यूनिटों की संख्या 1.1.1993 को 4057 की तुलना में 1.1.94 को बढ़कर 4132 हो गयी है। इस अवधि के दौरान 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए करीब 35 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इस अवधि के दौरान 8 निर्यातोन्मुखी यूनिटों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले 46 फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गयी है जिनमें कुल पूंजी निवेश करीब 620 करोड़ रू० है। इनमें विदेशी इक्विटी और निवेश की राशि 75 करोड़ रू० है। इन यूनिटों में से अधिकांश 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटें हैं।

अचारों, चटनियाँ, जेमों, जेलियों, मुरब्बों आदि जैसे पारम्परिक खाद्य उत्पादों के उत्पादन में संतुलित वृद्धि बनी रही। फ्रोजन उत्पादों, सुखाये गये और निर्जलीकृत उत्पादों जैसे गैर–पारंपरिक फल और सब्जी उत्पादों में वृद्धि दर ऊंची रही। पीने के लिए तैयार पेयों का उत्पादन बढ़ रहा है। एक अप्रैल, 1993 से एक जनवरी, 1994 तक विभिन्न खाद्य उत्पादों जिनमें सूखे मेवे शामिल नहीं हैं, का निर्याता 180 करोड़ रू० का हुआ जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 150 करोड़ रू० का हुआ था। इस वित्त वर्ष के अन्त तक फल और सब्जी उत्पादों, जिनमें सूखे मेवे शामिल नहीं हैं, का निर्यात 235 करोड़ रू० तक पहुचने की आशा है।

जुलाई, 1991 में दुग्ध उत्पाद उद्योग को लाइसेंस मुक्त किए जाने के परिणाम स्वरूप उद्यमियों द्वारा दुग्ध उत्पाद निर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए 850 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गये हैं। किंतु इसके पश्चात् सरकार ने जून 1992 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश की घोषणा की जिसके तहत प्रतिदिन 10,000 लीटर से अधिक दूध का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों को दुग्ध नियंत्रक के पास पंजीकरण कराना होता है। अब इस आदेश में संशोधन कर दिया गया है। दुग्ध शेडों के पंजीकरण और आबंटन में देरी के कारण नये यूनिटों की स्थापना में कुछ बाधा हुई है। परन्तु, रिपोर्ट मिली है कि कुछ यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। दुग्ध छेनाऔर मठ्ठा प्रोटीन के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग वाले एक संयुक्त उद्यम जिसे

i) development of new products.

ii) development, scale up and optimization of processes.

iii) solving in plant problems and trouble shooting.

iv) preparation and technical reports, design data for plant and machinery.

v) specialised in plant training programmes.

vi) turn-key assignments for total projects.

Some 48 new roller flour mills have been commissioned in the country during the period under Report. The capacity utilisation of roller flour mills is about 55% due to improved availability of wheat.

In the grain processing sector, conversion of 4 existing units and setting up of 4 new 100% export-oriented units for rice milling was approved during the year under report. These involve an investment of approximately Rs.23 crores which will provide additional employment of 650 persons. National Productivity Council has submitted the Report of the study on " problems and prospects of the pulse milling industry". This study was sponsored by this Ministry to pin-point the problems and obtain suggestion for ways and means for modernisation of this industry for maximum output. This report is being examined for further action in the Ministry. In the pulse milling sector also, three cases of 100% export-oriented units were approved for processing of imported pulses at an investment of Rs.75.75 lakhs which would provide employment approximately to 100 persons.

In the consumer industries, production of high proteins has increased marginally. Extruded foods maintained its growth. The production of Wine and beverages also maintained its growth trend. In the consumer industries, 8 proposals for foreign collaboration and foreign equity participation were approved during the period under review involving an investment of approximately Rs.300 crores.

In the fruits & vegetable processing sector, the installed capacity has increased to 12.60 lakh tons as on 1st January, 1994 as against 11.08 lakh tons as on 1.1.93. The number of units licensed under Fruit Products Order, 1955 has increased to 4132 as on 1.1.94 as against 4057 as on 1.1.93 During this period, some 35 proposals for setting up of 100% export-oriented units have been approved. 8 export-oriented units have already gone into production during this period. 46 fruits & vegetable processing units with foreign equity participation have been approved with total investment of about Rs.620 crores. Foreign equity and investment in these amount to Rs.75 crores. Most of these units are 100% export-oriented units.

The production of traditional food products like pickles, chutneys, jams, jellies,

गत वर्ष मंजूरी दी गई थी, के अलावा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो और ऐसे ही प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है।

मांस, पाल्ट्री और मांस उत्पाद क्षेत्र में भैंस मांस प्रसंस्करण के लिए तीन नये निर्यातोन्मुखी यूनिटों को मंजूरी दी गई है और इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। हैदराबाद के निकट निजी क्षेत्र में एक समन्वित बूचड़खाने को चालू किया गया है और अब यह ईरान सहित विभिन्न देशों को मांस का निर्यात कर रहा है। संयुक्त उद्यम के अंतर्गत पंजाब में एक नए 100% निर्यातोन्मुखी समन्वित भैंस मांस प्रसंस्करण संयंत्र की मंजूरी दी गई है। आशा है कि यह जुलाई/अगस्त 1994 में उत्पादन आरंभ कर देगा। इस मंत्रालय द्वारा सहायित तीन सूअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र गुवाहाटी, आइजोल और दीमापुर में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता से आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम आदि में अनेक छोटे पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

गत वर्ष अंडा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए दी गई चार मंजूरियों के अलावा एक और ऐसे निर्यातोन्मुखी अंडा प्रसंस्करण यूनिट को चालू वित्त वर्ष में मंजूरी दी गई है, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। मांस उत्पादों का निर्यात संतुलित रूप से बढ़ रहा है। अप्रैल, 1993 से जनवरी 1994 तक मांस उत्पादों का निर्यात करीब 270 करोड़ रू० का हुआ। जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 230 करोड़ रू० का था। आशा है कि 1993-94 के अंत तक पशु–उत्पादों का निर्यात करीब 350 करोड़ रू० का हो जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में, फल और सब्जी प्रसंस्करण और दूसरी तरह के खाद्य–प्रसंस्करणों के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता के सृजन के लिए मंत्रालय ने पिछले वर्ष 38 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की थी। अनेक ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है और उनमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में समूचे देश के विभिन्न भागों में 70 और ऐसे केन्द्रों के लिए इसी प्रकार की सहायता दी गई और यह आशा है कि 6-7 महीनों की अवधि के अंतर्गत इन प्रशिक्षण केन्द्रों को भी स्थापित कर दिया जाएगा। इस प्रशिक्षित उद्यमियों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना और सरकार की अन्य स्वरोजगार स्कीमों के माध्यम से छोटे यूनिटों की स्थापना हेतु सहायता देने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

समुद्री उत्पादों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अप्रैल से दिसम्बर 1993 के दौरान 1,54,458 मी. टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया जिनका मूल्य 1,684 करोड़ रुपये था जबकि 1992 की इसी अवधि के दौरान 1,37,741 मी. टन का निर्यात किया गया था जिसका मूल्य 1,028.45 करोड़ रू० था। आशा है कि वित्तीय वर्ष के अन्त एक समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात 2,105 करोड़ रू० तक पहुँच जाएगा। अच्छे प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि के कारण यूनिट वैल्यू वसूली 1992-93 के 89.04 रू० प्रति किलो से बढ़कर 1993-94 में 108.05 रू० प्रति किलो हो गई।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने मत्स्यन संसाधनों के प्रभावकारी दोहन के लिए तटवर्ती भारतीय राज्यों और मत्स्यन जलयानों को महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करना जारी रखा है। इस संस्थान को राष्ट्रीय समुद्री सूचना प्रणाली के अन्तर्गत देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए एक आँकड़ा केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अन्तरित करता है और "सिफनेट" कैडेटों को कार्यात्मक प्रशिक्षण देता है तथा भारत में टूना अनुसंधान पर कोलोक्यूम की कार्रवाइयों सहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकाशित करता है।

marmalades, etc. continues to maintain a steady growth. Non-traditional fruits and vegetable products like frozen products, dried and de-hydrated products have shown a higher growth rate. Production of ready-to-serve beverages is picking up. Export of fruit products have been consistently increasing. From April 1, 1993 to January 1, 1994 export of various food products excluding died nuts was of the value of Rs.180 crores as against Rs.150 crores during the corresponding period last year. By the end of the financial year, exports of fruits & vegetable products excluding dried nuts are expected to touch Rs.235 crores.

Consequent upon delicensing of milk products industry in July, 1991, over 850 IEMs have been filed by the entrepreneurs for establishment of milk products manufacturing units. But, subsequently, in June, 1992, government promulgated Milk and Milk Products Order under Section 3 of the Essential Commodities Act requiring traders and manufacturers using more than 10,000 Liters of milk per day to get themselves registered with the Milk Controller. This Order has since been modified. Delay in registration and allocation of milk sheds have caused certain setback in setting up the new units. However, a few units have reported to have started commercial production. Besides a joint-venture unit with foreign collaboration for manufacture of milk casein and whey protein which was approved last year, two more similar proposals have been approved during the year under report.

In the meat, poultry and meat products sector, three new export-oriented units for processing of buffalo meat have been approved and are under implementation. An integrated abattoir in the private sector near Hyderabad has been commissioned and is now exporting meat to various countries including Iran. A new 100% export-oriented integrated buffalo processing plant in joint venture in Punjab has been approved which is likely to go into production sometimes in July/August, 1994. Three pork processing plants assisted by this Ministry are being set up at Guwahati, Aizwal and Dimapur. In addition, a number of small poultry processing plants are being established in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, etc. with the assistance provided by this Ministry.

In addition to the four approvals for setting up of egg processing plants in the previous year, one more such export-oriented unit for egg processing has been approved in the current financial year which is under implementation. Export of meat products has been steadily increasing. From April, 1993 to January, 1994 export of meat products was around Rs.270 crores as against Rs.230 crores in the corresponding period last year. It is expected that by the end of 1993-94, export of animal products would be around Rs.350 crores.

In order to promote technology and create entrepreneurship in the fruits & vegetable processing and other types of food processing in rural areas, Ministry in the previous year had provided assistance for setting up of 38 Food Processing Training Centres. A number of such training Centres has already been established and training imparted and some of the trainees have started some commercial production. In the current financial year, similar assistance has been extended for 70 more such Centres in different

आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992-93 से आरम्भ हुई जिसमें मुख्य रूप से निवेश और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और उपक्रम की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है जिसमें सरकार की भूमिका मददगार के रूप में होगी। योजना में उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश करने का कार्यक्रम है जहां निजी प्रयासों की कमी है। प्रेरक के रूप में अपेक्षित प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास में मदद करने का भी कार्यक्रम है। योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए 146 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय मंजूर किया है और 1993-94 के लिए परिव्यय 47 करोड़ रुपये रखा गया था। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है और विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गई सहायता का उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है।

मंत्रालय ने केन्द्र सरकार और राज्यों के विभिन्न विभागों से, राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु समन्वय के निए राज्यों से नोडल एजेन्सियाँ नामित करने का अनुरोध किया था। सभी राज्यों ने अपनी नोडल ऐजेंसियाँ नामित कर दी हैं। अनेक नोडल एजेंसियों को उनके बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने विशेषतया आँकड़ें एकत्र करने, आँकड़ा प्रबन्ध आदि के लिए योजना सहायता भी दी गई है।

राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच अधिक समन्वय विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों की नोडल एजेंसियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और मात्स्यिकी के प्रभारी मंत्रियों ने भाग लिया। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर विचार–विमर्श के लिए विशेष रूप से एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री ने की। इन बैठकों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तेजी से विकास के लिए विचारों का आदान–प्रदान किया गया और अनेक सुझाव प्राप्त हुए।

मंत्रालय ने अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षक संघ, खाद्य व्यापार और उद्योग परिसंघ, वर्ल्ड एसेम्बली ऑफ स्माल एण्ड मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज, युवा उद्यमियों के राष्ट्रीय संघ, भारतीय खाद्य वैज्ञानिक और तकनीकीविद संघ और अनेक दूसरी संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों के लिए सहायता दी और इन सेमिनारों में भाग भी लिया। खाद्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विद संघ द्वारा मैसूर में एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें भारत और विदेशों से 2 हजार से अधिक खाद्य प्रौद्योगिकीविदों और उद्योगपतियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोलोगने, जर्मनी में आयोजित "अनुगा" खाद्य मेले में भाग लेने के लिए भी सहायता प्रदान की।

विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए मंत्रालय ने एक खुला विचार–विमर्श आयोजित किया जिसमें उन उद्यमियों को आमन्त्रित किया गया जिन्होंने औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं और जिनकी परियोजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदित की गई हैं। इस विचार–विमर्श में राज्यों की नोडल एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

मंत्रालय ने दो विशेषज्ञ पैनलों का गठन किया। एक पैनल गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने और उपचार सुझाने तथा दूसरा पैनल पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया।

मंत्री महोदय ने देश में विदेशी खाद्य उद्योगों के साथ सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार–विमर्श करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस का दौरा किया। इजराइल के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल

places all over the country and it is expected that within a period of 6-7 months, these Training Centres will also be established. Arrangement for providing assistance to these trained entrepreneurs through Prime Minister's Rozgar Yojana and other self-employment schemes of the government for setting up of small units is being made.

Export of marine procucts continue to show an increasing trend. During April-December, 1993, 1,54,458 metric tonnes of marine products were exported with a value of Rs.1,684 crores as against an export of 1,37,741 metric tonnes valued at Rs.1,028.45 crores during the same period in 1992. It is expected that by the end of the financial year, the total export of marine products will touch a figure of Rs.2,105 cores. Due to better processing, packaging, etc. unit value realisation improved from Rs.89.04 per kg in 1992-93 to Rs.100.8 per kg in 1993-94.

Fishery Survey of India continues to give valuable inputs to maritime Indian Sates and Fishing vessels for effective exploitation of fishing resources. This Institute has been recognised as one of the data centres for deep sea fisheries in the country under the National Oceanic Information System. It transfers modern technologies and on-the-job training of CIFNET cadets and publishes important information including proceedings of the colloqium on Tuna Research in India.

Eighth Five Year Plan began from the year 1992-93 with the basic thrust on stimulating and providing initiative for investment and national development with government acting as facilitator. The Plan envisages public sector investment in those areas where private initiative is lacking, provide requisite stimulus by way of catalyst investment as well as help development of infrastructure for the growth of this sector. The Planning Commission has approved a Plan outlay of Rs.146 crores for the 8th Plan and the outlay for the year 1993-94 was pegged at Rs.47 crores. Schemes formulated for the development of different sectors are being implemented and assistance provided under the various schemes are indicated in subsequent chapters.

Ministry had requested the States to nominate nodal agencies for coordinating with Central Government as well as the different Departments of the States for the purpose of development of food processing industries in the States. All States have nominated their nodal agencies. Plan assistance have also been provided to many nodal agencies for strengthening their infrastructure, particularly for data collection, data management, etc.

With a view to develop closer coordination between the States and Central Government, a meeting was held under the Chairmanship of the Union Minister of State for Food Processing Industries with the State nodal agencies wherein the Ministers in charge of food processing industries and fisheries, etc. attended. Similarly, a meeting was also organised specifically for discussing development of food processing industries in the North-Eastern States which was also presided by the MOS(FPI). In these meetings ideas were exchanged for faster development of food processing industries and various suggestions were received.

Ministry also assisted and participated in various seminars organised by the All

भी कृषि खाद्य उद्योगों में सहयोग के लिए विचार विमर्श करने के वास्ते मंत्री जी से मिला।

इसी प्रकार नीदरलैंड, इटली ओर ब्रिटेन जेसे विभिन्न देशों के शिष्टमंडलों ने भी मंत्री महोदय से मुलाकात की। हमारे मंत्रालय ने ईरान, थाइलैंड, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर आदि के साथ संयुक्त–कमीशनों में भागीदारी की। मंत्रालय ने मौजूदा गहन समुद्री मत्स्यन उद्योगों के पुनर्वास के लिए ब्यौरा तैयार करने हेतु एफ. ए. ओ. विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्राप्त कीं। मंत्रालय ने कम लागत की सौर प्रशीतन प्रणाली की स्थापना के लिए एफ. ए. ओ. के साथ सहयोग भी किया।

मंत्रालय ने विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभाव्यता रिपोर्टों और इन उद्योगों की स्थापना के लिए कदम उठाने के वास्ते विभिन्न राज्य संगठनों, सहकारिताओं और अन्य संगठनों को सहायता दी। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न उप–क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के माध्यम से निष्पादन पुरस्कारों की भी शुरूआत की। ''फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन्वेस्टमेंट अपारच्यूनिटीज'' शीर्षक से मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करायी गई पुस्तक विदेशों में भारतीय मिशनों और वाणिज्य तथा उद्योग संघों को भेजी गयी थी एवं इसे बहुत उपयोगी पाया गया तथा सभी संबंधितों ने इसकी और प्रतियों की मांग की है। अतः मंत्रालय ने इसमें संशोधन करने और संबंधित लोगों को अद्यतन पुस्तक उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। मंत्रालय ने छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के बारे में साहित्य और लघु फिल्में तैयार करने के लिए भी कार्रवाई आरंभ की है। ये अगले वित्तीय वर्ष में तैयार हो जायेंगे।?

MUTTON ROGANJOSH

प्रसंस्कृत खाद्यान्नों का निर्यात (संलग्नक प्रसंस्कृत अनाज)
Exports of Processed Foods (including processed cereals)

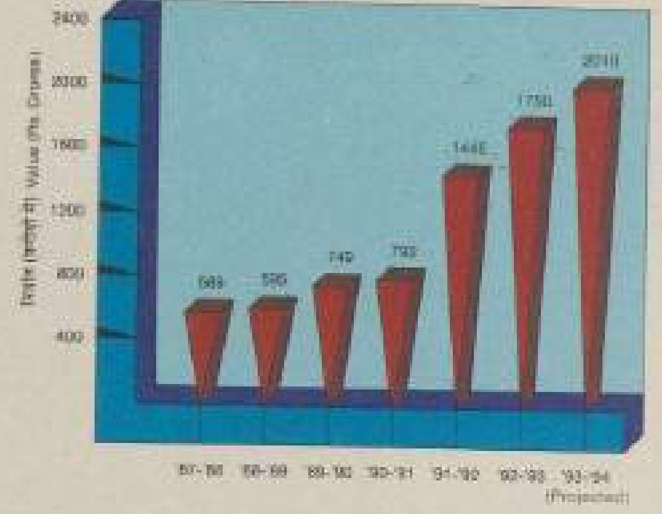

समुद्री उत्पाद का निर्यात
Exports — Marine Products

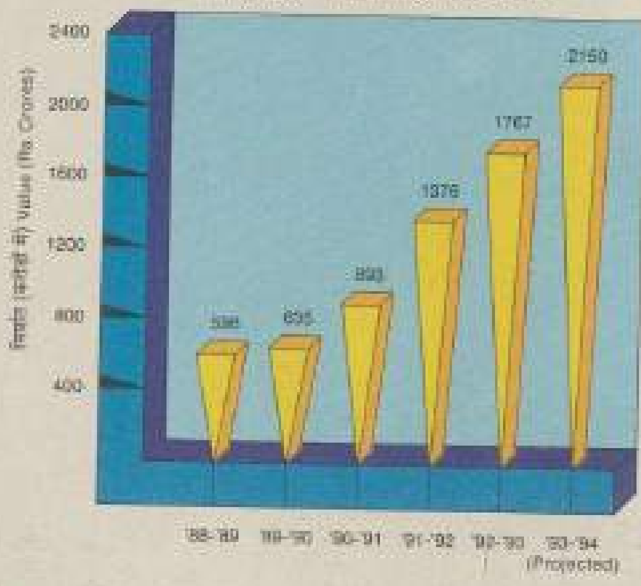

फल उत्पाद आदेश लाईसेंसकारियों की संख्या
No. of licensed units under FPO

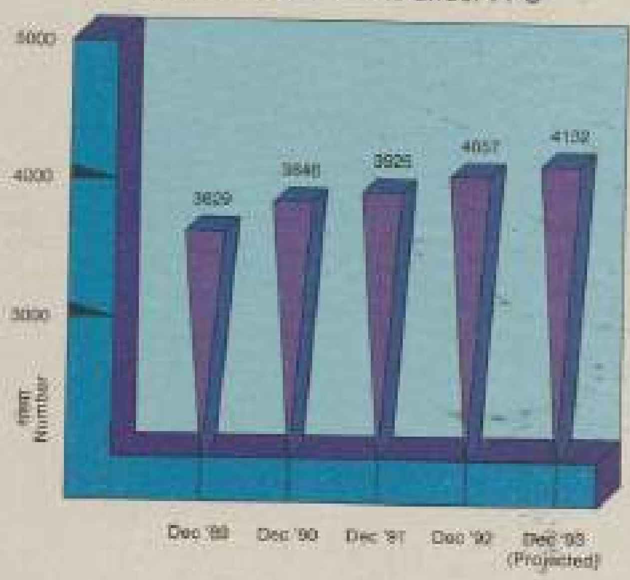

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापित क्षमता
Installed Capacity of F & VP Industry
(as on 1st Jan. of the Year)

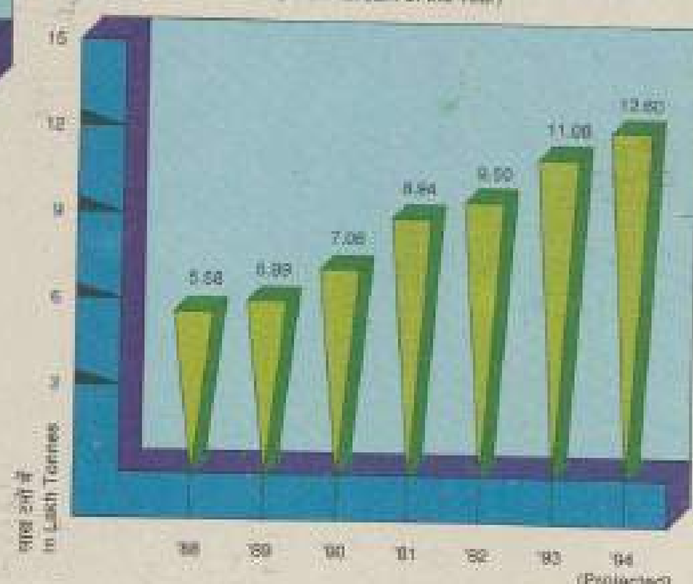

India Food Preservers' Association, Confederation of Food Trade and Industry, World Assembly of Small and Medium Scale Industries, National Association of Young Entrepreneurs, Association of Indian food Scientists and Technologists and various others. Association of Food Scientists and Technologists organised an international symposium at Mysore in which more than 2000 food technologists and industrialists from India and abroad participated. Ministry also provided assistance for participation in Anuga Food Fair held in Cologne, Germany for promoting export of Indian food products.

In order to discuss the problems in implementation of various projects, Ministry organised an 'Open House Discussion' wherein entrepreneurs who have filed Industrial Entrepreneurs Memorandum and whose projects have been approved for establishment of food processing industries were invited. Officers from the State nodal agencies, financial institutions and some Central Ministeries also participated in the discussion.

Ministry constituted two expert panels, one for studying the problems of deep sea fishing industry and suggest remedies and the other for suggesting short-term and long-term measures for development of food processing industries in the North-Eastern States.

The Minister undertook a tour of U.K. and France for discussing possibilities of collaboration and cooperation with the foreign food industries in the country. A delegation headed by Israeli Agriculture Minister has also called on the Minister and discussed collaboration and agro food processing. Similarly, delegation from various countries like Netherlands, Italy, and U.K. also called on the Minister. Our Ministry participated in various joint-commissions with Iran, Thailand, Uzbekisthan, Kazakhstan, Malaysia, Singapore, etc. Ministry also obtained the service of FAO expert for working out details of rehabilitation of the existing deep sea fishing industry. Ministry also collaborated with FAO for setting up of low cost solar cooling system.

Ministry provided assistance to various States organisations, Cooperatives and other organisations for feasibility reports and taking steps for establishment of various food processing industries. Ministry also established performance awards through the National Productivity Council for various sub-sectors of the food processing industries. Ministr's publication titled "Food Processing Industries in India - Investment Opportunities" which was sent to Indian Missions abroad, Chambers of Commerce and Industry was found to be very useful and more number of copies of the same have been asked for from all concerned. Ministry, therefore, has undertaken the task of revising the same and making available updated version to the concerned people. Ministry has also initiated action for preparation of literatures and short films for appropriate technology for small food processing industries. These will be ready in the next financial year.

अध्याय - 2

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना समर्थ एवं गतिशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में की गयी थी। अतः कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने, कृषि के विविधीकरण तथा वाणिज्यिकरण, फसल पूर्व और फसलोत्तर बर्बादी को कम करने एवं निर्यात बढ़ाने के लिए कच्चे माल की उपयुक्त प्राप्ति में सक्षम उद्योगों को अनिवार्य आवश्यकता माना गया है। यह मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अन्तर्गत इसे आबंटित विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार का एक अभिकरण है। अतः यह मंत्रालय उद्योग के स्वस्थ विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, राज्य सरकारों की भागीदारी, प्रौद्योगिकी और क्वालिटी मानकों के उन्नयन, घरेलू बाजार को सक्रिय करने, निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने और जब कभी आवश्यक हो कर और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रेरक नीति का वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है। यह विदेशी सहयोग और निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करता है और सामान्यतः अच्छी संभावनाओं वाले उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। अतः मंत्रालय के कार्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है।

1. विकासात्मक एवं उन्नायक
2. विनियमनकारी और
3. तकनीकी और परामर्शी

ये कार्य केन्द्रीय और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा संपादित किए जाते हैं जिनमें विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। मंत्रालय के वर्तमान संगठन को दर्शाने वाला चार्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

स्टाफ की संख्या

मंत्रालय मुख्यालय की कुल स्वीकृत संख्या 151 है। 31-12-93 को पदों (ग्रुपवार) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा धारित पदों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

पद ग्रुप	स्वीकृत पदों की संखया	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित पदों की संख्या	
		अ. जा.	अ. ज. जा.
ग्रुप क	33	5	-
ग्रुप ख	49	7	2
ग्रुप ग	48	3	4
ग्रुप घ	21	5	-
कुल जोड़	151	20	6

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में मैसर्स मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहटी नामक दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो खाद्य प्रसंस्करण और विपणन से संबंद्ध हैं।

Chapter II

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry of Food Processing Industries was set up to act as a focal point for developing a sound and vibrant food processing industry, as such industries with adequate backward linkage are identified to be an essential requirement for improving productivity in agriculture and allied activities, generation of employment in rural areas, diversification and commercialisation of agriculture, reduction of pre and post harvest wastages and increasing export. This Ministry is a Central agency of the Government for promotion of food processing industries in the country, including formulation and implementation of policies and plan in respect of specified industries allotted to this Ministry within the national priorities and objectives. This Ministry, therefore, endeavors to create a conducive policy environment for healthy growth of this industries, improve infrastructure, seek involvement of State Governments, promote upgradation of technology and quality standards, help activating domestic market, focus on exports and rationalisation of taxes and duties whenever required. It processes applications for foreign collaborations and export oriented units and generally renders assistance to prospective entrepreneurs. The functions of the Ministry, therefore, can be classified as :-

i) Developmental and Promotional,
ii) Regulatory, and
iii) Technical and Advisory.

These functions are carried out through the central and field organisations which include subject specialists. A chart showing the present organisation of the Ministry is annexed.

STAFF STRENGTH

The total sanctioned strength of the Ministry (Hqrs.) is 151. The details of the posts (Groupwise) and the posts held by SC and ST members as on 31-12-93 is given below :-

Group of Posts	Number of Sanctioned posts	Number of posts held by S.Cs.	S .Ts.
Group A	33	5	--
Group B	49	7	2
Group C	48	3	4
Group D	21	5	--
Total	151	20	6

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
AND ATTACHED OFFICES AS ON 31-12-1993

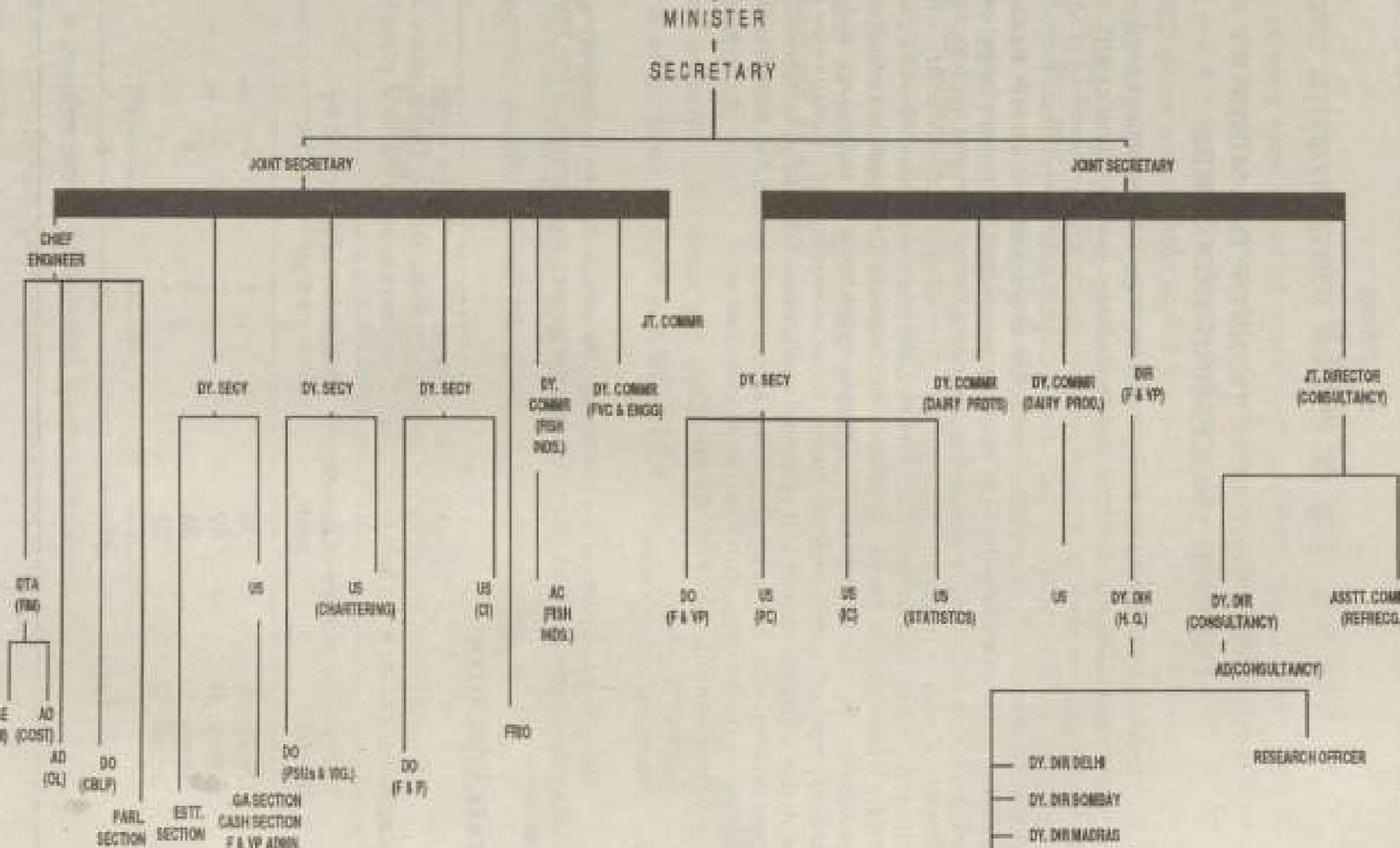

Two public sector undertakings, namely, M/s Modern Food Industries (India) Ltd. and North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd., Guwahati, which are associated with food processing and marketing, are under the administrative control of this Ministry.

अध्याय - 3

खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

चावल मिलों का अधुनिकीकरण :

देश में चावल मिलिंग उद्योग का आधुनिकीकरण 1970 में ब्रान और हस्क जैसे सह–उत्पादों की अच्छी क्वालिटी और चावल का अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से किया गया था। ब्रान और हस्क क्रमशः खाद्य तेल/औद्योगिक तेल निस्सारण के साधन हैं। यह प्रक्रिया चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 और चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन एवं लाइसेंसिंग) नियमावली, 1958 में संशोधन करके आरंभ की गई थी। आधुनिकीकरण के पहले चरण में शेलर एवं हलर और बहु–हलरों को लिया गया था। तथापि, सिंगल हलर मिलों के आधुनिकीकरण में निहित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 27 जुलाई, 1984 तक विद्यमान यूनिटों को आधुनिकीकरण से छूट दी गई है। यह ढील अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत उल्लिखित कुछेक श्रेणियों की मिलों को छोड़कर उपर्युक्त तारीख के बाद स्थापित किए गए नए सिंगल–हलर यूनिटों के लिए उपलब्ध नहीं थी।

सरकार द्वारा किए गए निरन्तर प्रयत्नों को देखते हुए आधुनिकीकरण/आधुनिकीकृत चावल मिलों की संख्या 1970 में शून्य से बढ़कर 1994 में 33557 पहुँच गई है। तेल निकालने के लिए प्रसंस्कृत चावल ब्रान की मात्रा भी 1970-71 में 1.87 लाख टन से बढ़कर 1992-93 में 30.19 लाख टन हो गई है। (रेखाचित्र–1)

अनुसंधान और विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण :

2. कानूनी उपायों के अलावा सरकार अपने दो अनुसंधान केन्द्रों अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलाजी सेंटर तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र तंजावुर (तमिलनाडु) के जरिये अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न कार्यकलाप प्रायोजित कर रही है। इसके अलावा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र) और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब राज्यों में स्थापित ग्यारह क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों के बिछे जाल के माध्यम से चावल मिल आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

सहायता अनुदान :

5. चावल मिलों के आधुनिकीकरण के कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान दिए जा रहे हैं। ये अनुदान मुख्यतया अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्यों तथा सह–उत्पादों के बेहतर इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों और उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों की स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है।

3.1 चावल प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं और सहोत्पादों के उपयोग जैसे कि सुखाने, भण्डारण, सैलीकरण, मिलिंग, ब्रान–स्थिरीकरण, तेल निस्सारण आदि पर मूलभूत अनुसंधान कार्य धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर में किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं :–

(क) चावल मिलिंग के लिए कम रगड़ वाली हलर का मानकीकरण, पूर्णता और प्रचार।

(ख) रासायनिक उपचार और प्रक्रिया संशोधन द्वारा शीघ्र पकने वाले चावल का उत्पादन।

3.2 इस केन्द्र की स्थापना पंजीकृत सोसायटी के रूप में दिसम्बर, 1984 में की गई थी। इसने तंजावुर स्थित अपनशी नई बिल्डिंग में दिसम्बर, 1987 में शिफ्ट कर लिया था और वहाँ यह अपना अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखे हुए हैं।

Chapter III

FOOD GRAIN MILLING INDUSTRIES

MODERNISATION OF RICE MILLS :

1. The Modernisation of the rice milling Industry in the country was taken up in 1970 with a view to obtain the higher yields of rice and better quality of by-products such as bran and husk suitable for edible oil/industrial oil extraction and as a source of fuel respectively. The process was initiated by amending the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 and Rice Milling Industry (Regulation & Licensing) rules, 1959. In the initial phase of modernisation, shellers-cum-hullers and multiple hullers were brought under the purview of modernisation. However, keeping in view various problems involved in the modernisation of single huller mills, units existing on 27.7.1984 have been exempted from modernisation. This relaxation is not available to new single huller mills set up after the date, except to certain categories enumerated under the Act and the rules made there under.

In view of the sustained efforts made by the Government, the number of modern/ modernised rice mills have gone up from practically nil in 1970 to 33557 in 1994 (Table-1), also the quantity of rice bran processed for oil extraction has increased from 1.87 lakh tonnes in 1970 to 30.19 tonnes in 1993, (Fig. 1).

R&D EXTENSION & TRAINING :

2. Apart from the legislative measures, the Govt. has been sponsoring various research and development activities through its two research Centres, namely, Post Harvest Technology Centre in the Indian Institute of Technology, Kharagpur (W.Bengal) and Paddy Processing Research Centre, Thanjavur (Tamil Nadu). In addition, extension and training work on rice mill modernisation is undertaken through a net-work of Eleven regional Extension Service Centres established in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat and Punjab.

GRANTS IN AID

3. Grants in aid are being provided to various institutes in connection with the activities of modernisation of rice mills. The aid is intended mainly to promote research and development, extension and training work on modernisation of rice milling industry and better by-product utilisation. The organisation which have received grants during the year and the activities undertaken by them are briefly indicated in the following paragraphs.

3.3 धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र तंजावुर के लिए दिसम्बर, 1993 तक 15.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

3.4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर स्थित पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी केन्द्र इंजीनियरों, तकनीशियनों, आपरेटरों आदि को चावल और अनाजों के प्रसंस्करण के संबंध में पोस्ट हार्वेस्ट के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएँ सुलभ कराता है। यह केन्द्र पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नालॉजी में एम. टेक, पी. एच. डी. और डाक्टरोत्तर पाठ्यक्रम और चावल मिलिंग में अल्पकालीन पाठ्क्रम भी चलाता है। इस केन्द्र में कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना (स्काप) के अन्तर्गत विदेशी नागरिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। इस केन्द्र में इस समय 11 विद्यार्थी एम. टेक., 13 पी. एच. डी. और एक अनुसंधान एसोसियेट छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अध्यापन कार्यों के अलावा, यह केन्द्र चावल प्रसंस्करण और सह–उत्पादों के उपयोग आदि से संबंधित इंजीनियरी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य में भी लगा हुआ है। फलों और सब्जियों को अधिक समय तक रखने के लिए नियंत्रित और परिष्कृत भण्डार से संबंधित वर्ष 1993-94 में शुरू की गई अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं 1993-94 में जारी हैं।

3.5 इस केन्द्र के लिए दिसम्बर, 1993 तक 40.00 लाख रू० का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

3.6 विभिन्न धान उत्पादक राज्यों में अब तक कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं आदि के अधीन 11 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र सेमिनारों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, तकनीकी मार्गदर्शन, फिल्मों, इश्तिहारों आदि के जरिए प्रचार के माध्यम से चावल मिलों के आधुनिकीकरण और सह–उत्पादों के बेहतर उपयोग विषयक कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। इन केन्द्रों के लिए मंत्रालय प्रारम्भ के पांच वर्ष से आठ वर्ष की अवधि के लिए धनराशि देता है और उसके बाद इन्हें, इनके मूल संस्थानों को सौंप दिया जाता है। ये ग्यारह केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र) और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब राज्यों में स्थापित किए गए है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र), पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्थापित केन्द्रों को अपनी गतिविधियां आगे भी जारी रखने के लिए 8 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद उनके कार्यकलाप आगे बढ़ाने के लिए संबंधित मूल संगठनों को सौंप दिया गया।

3.7 इन केन्द्रों को दिसम्बर, 1993 तक 11.25 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है।

3.8 12 राज्यों में अर्थात आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा और मणिपुर में हलरों के आधुनिकीकरण की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है ताकि हलर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक हलर मालिक को अपनी यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिए 15,000 रुपये की राजसहायता दी जाती है।

3.9 देश में बढ़िया किस्म की चावल मिलिंग मशीनरी और सहायक मशीनरी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश के दक्षिण, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये क्रमशः कोयम्बटूर, खड़गपुर, कानपुर और पुणे में स्थित हैं। ये केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चावल मिल मशीनरी की जाँच का कार्य करने, मौजूदा मशीनरी में सुधार करने के बारे में सुझाव देने, निर्माताओं और मिल मालिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, मशीनरी के चयन, परिचालन और परिरक्षण के बारे में प्रशिक्षण सुविधाएँ इत्यादि प्रदान करने का काम करते हैं।

3.10 इन केन्द्रों को दिसम्बर, 1993 तक 5 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।

3.11 बासमती और बासमती टूटन के निर्यात के लिए कुल 2300 लाख रुपये के पूंजी निवेश वाली शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी स्कीम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान चावल मिलिंग सेक्टर में विद्यमान 4 यूनिटों

3.1 The basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being carried out at the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently the following projects are being handled at the Centre :-

(a) Standardisation perfection and propagation of low friction huller for rice milling.

(b) Production of quick cooking rice by chemical treatment and process modification.

3.2 The Centre was formed as a registered society in Dec.'84 and was shifted to its new building at Thanjavur in Dec.'87 and is continuing its research and development work.

3.3 A grant of Rs.15.00 lakhs has been released to the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur upto Dec.'93.

3.4 The Post Harvest Technology Centre at the Indian Institute of Technology, Kharagpur provides training facilities for engineers, techicians, operators etc. in the post harvest processing of rice and other cereal grains. It conducts M.Tech., Ph.D and Post Doctoral courses in Post Harvest Technology, and short term courses in rice milling. Special courses under the Colombo Plan and Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAAP) are also organised for the foreign nationals. At present 11 M.Tech., 13 Ph.D students and 1 Research Associate, are undergoing courses at the Centre. Besides training activities, the Centre is also engaged in research and development work on the engineering aspects of rice processing and by-product utilisation etc. During 93-94 R&D project relating to (a) controlled and modified storage for fruits and vegetables for enhancement of their shelf life is being continued in the year 93-94.

3.5 A grant of Rs.40.00 lakhs has been sanctioned to the Centre upto December'1993.

3.6 Eleven Regional Extension Centres have been set up do far in different paddy growing states under the Agriculture Universities/Research Institutions etc. to propagate the advantages of rice mill modernisation and better by-product utilisation through seminars, demonstration programmes, short duration training courses, technical guidance, publicity through films, leaflets etc. These Centres are financed by the Ministry for an initial period of five to eight years after which they are handed over to the host organisation. These eleven Centres have been set up in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (Two Centres), West Bengal, Gujarat and Punjab. The Centres at Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (two) and West Bengal and Maharashtra have been handed over to the respective host organisation after the completion of the eight year period, for further continuance of their activities.

3.7 A grant of Rs.11.25 lakhs has been released to the centres upto December, 1993.

3.8 A scheme on "modernisation of single hullers" is being implemented in twelve states viz. Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal,

के परिवर्तन और 4 नई यूनिटों की स्थापना को मंजूरी दी गई। है जिनसे लगभग 650 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

गेहूँ रोलर आटा मिलिंग उद्योग

4. जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति आरम्भ करने के बाद निम्नलिखित मामलों को छोड़कर नई रोलर आटा मिलों की स्थापना अथवा यूनिटों की विद्यमान क्षमता में विस्तार के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

(क) प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की मानक शहरी क्षेत्र की परिसीमा से 25 किलोमीटर के अन्दर स्थापित न की गई हो।

यह शर्त लागू नहीं होगी यदि मिलें 25 जुलाई, 1991 से पहले राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित की गई हों।

4.1 गेहूँ उत्पादों को तैयार करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। गेहूँ उत्पादों के मूल्य और वितरण पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। मिलों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं से भी गेहूँ प्राप्त करने की स्वतन्त्रता दी गई है ताकि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वे सरकार पर निर्भर न रहें। देश में प्रतिवर्ष लगभग 780 रोलर आटा मिलों द्वारा करीब 100 लाख टन गेहूँ से विभिन्न गेहूँ उत्पाद तैयार किए जाते हैं। (तालिका–2)

दाल मिलिंग उद्योग

5. भारत में दाल मिलिंग उद्योग चावल और आटा मिलिंग के बाद सबसे बड़ा उद्योग है। ऐसी जानकारी है कि 140 लाख टन उत्पादित दालों में से 75% दाल का प्रसंस्करण सम्पूर्ण देश में फैली लगभग दस हजार दाल मिलों द्वारा किया जाता है। इसके लिए दालों को विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। जैसे–सफाई, फटकना, ग्रेडिंग, दलाई, छिल्का उतारना और पालिश करना। घर, कुटीर या लघु स्तर पर दाल मिलिंग के लिए देश में विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं।

5.1 उद्योग की समस्याओं और उसके भविष्य का पता लगाने तथा अधिकतम उत्पादन के लिए उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु तरीके सुझाने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से एक अध्ययन प्रायोजित किया है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसके निष्कर्षों के आधार पर परिषद का गठन करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

5.2 आयातित दालों के प्रसंस्करण और दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों में इसके निर्यात के लिए 759.75 लाख रूपये के पूँजी निवेश वाली शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी 3 यूनिटों को मंजूरी दी गई। इन यूनिटों से लगभग 100 व्यक्तियों को, रोजगार मिलेगा।

Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Goa, Haryana and Manipur to encourage huller Modernisation. Under this scheme huller- owners will be provided subsidy of Rs.15,000 each for the modernisation of their units.

3.9 In order to encourage production of quality rice milling and allied machinery in the country, four testing centres have been set up in the southern, eastern, northern and western regions of the country. These are located at Coimbatre, Kharagpur, Kanpur and Pune respectively. These centres undertake testing of rice milling machinery according to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards, suggest improvements in existing machinery, offer technical guidance to manufacturers and millers, provide training facilities in selection, operation and maintenance of machinery etc.

3.10 A grant of Rs.5.00 lakhs has been sanctioned to the centres upto December, 1993.

3.11 Conversion of four existing units and setting up of four units in Rice Milling sector were approved during the year under 100% EOU scheme for export of Basmati & broken basmati rice with a total investment of Rs.2,300 lakhs and providing employment to approx. 650 persons.

WHEAT ROLLER FLOUR MILLING INDUSTRY

4. After introduction of New Industrial Policy in July, 1991 licensing is abolished for setting up new roller flour mills or for expansion in the existing capacity of the units except in the following cases : -

a) The proposed project is not located within 25 kms of the periphery of the standard urban area limit of a city having a population of more than 10 lakhs according to 1991census.

4.1 No licence is required for manufacture of wheat products. There are also no controls on price and distribution of wheat products either. The mills have been given a free hand to obtain their requirements of wheat from any source therby avoiding their dependence on Government for the supply of raw materials. Nearly 10 million tonnes of wheat is converted into various wheat products by about 750 roller flour mills in the country every year (Table - II).

PULSE MILLING INDUSTRY

5. Pulse milling industry is a major milling industry in India, next only to rice and flour milling. It has been known that of the 14 million tonnes of pulse produced 75% are processed in about 10,000 dal mills scattered all over the country. Pulses are passed through several stages of precleaning, dehusking, grading, aspirating, splitting and polishing. Various methods are practiced in the country to mill pulses at home, cottage or small scale level.

1.1.1994 को चावल मिलों की संख्या

तालिका-1

क्र० सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का नाम	हलर्स	शेलर्स	हलर्स सह-शेलर्स	अधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,609	1,776	2,364	12,995	21,744
2.	असम	431	14	2,133	242	2,820
3.	बिहार	4,749	63	9	51	4,872
4.	गुजरात	1,890	159	67	1,045	3,161
5.	हरियाणा	807	-	-	990	1,797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	3	222	1,116
7.	जम्मू कश्मीर	-	-	-	-	-
8.	कर्नाटक	9,131	462	1,103	3,674	14,370
9.	केरल	13,664	-	13	2,533	16,210
10.	मणिपुर	71	-	97	1	169
11.	महाराष्ट्र	8,199	273	541	1,759	10,772
12.	मध्य प्रदेश	3,918	201	252	1,661	6,042
13.	मेघालय	193	-	8	-	201
14.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-
15.	उड़ीसा	6,398	125	289	552	7,364
16.	पंजाब	4,416	442	-	1,965	6,823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	-	-	-	17
19.	तमिलनाडु	13,608	148	1,224	3,408	18,388
20.	त्रिपुरा	689	5	8	1	703
21.	उत्तर प्रदेश	5,707	562	150	1,215	7,634
22.	पश्चिम बंगाल	9,554	3	72	926	10,555
23.	चण्डीगढ़	4	-	-	97	31
24.	दिल्ली	2	-	-	27	29
25.	पांडिचेरी	193	-	8	33	234
26.	अंडमान–निकोबार	116	-	-	-	116
27.	अरूणाचल–प्रदेश	-	-	-	-	-
28.	दादर नगर हवेली	8	1	-	-	9
29.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-	-	-
30.	गोवा	675	-	5	37	717
31.	मिजोरम	-	-	-	-	-
	योग	**90,091**	**4,237**	**8,362**	**33,557**	**1,36,247**

5.1 Ministry has sponsored a study through the National Productivity Council (NPC) to ascertain the problems and prospects of the industry and also to suggest ways & means for maximum output. The report has been received and action has been initiated on its finding for constituting a pulse processing council.

5.2 Three cases of 100% EOU were approved for processing of imported pulses and its export to hard currency areas with an investment of Rs.759.75 lakhs. These units will provide employment to above 100 persons.

तालिका -2 : 1.1.1994 को देश में रोलर आटा मिलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	60
2.	असम	40
3.	बिहार	60
4.	चंडीगढ़	5
5.	दिल्ली	27
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	32
8.	हरियाणा	40
9.	हिमाचल प्रदेश	15
10.	जम्मू व कश्मीर	19
11.	कर्नाटक	56
12.	केरल	27
13.	मध्य प्रदेश	31
14.	महाराष्ट्र	57
15.	नागालैण्ड	4
16.	उडीसा	19
17.	पांडिचेरी	3
18.	पंजाब	38
19.	राजस्थान	10
20.	सिक्किम	3
21.	तमिलनाडु	60
22.	त्रिपुरा	2
23.	उत्तर प्रदेश	101
24.	पश्चिम बंगाल	49
25.	मणिपुर	1
26.	मेघालय	2
		750

TABLE-I NUMBER OF RICE MILLS AS ON 01-01-1994

No. State/U.T.	Hullers	Shellers	Hellers cum Shellers	Modern/ Modernised Rice Mills	Total
1. Andhra Pradesh	4,609	1,776	2,364	12,995	21,774
2. Assam	431	14	2,133	242	2,820
3. Bihar	4,749	63	9	51	4,872
4. Gujarat	1,890	159	67	1,045	3,161
5. Haryana	807	--	--	990	1,797
6. Himachal Pradesh	890	1	3	222	1,116
7. Jammu & Kashmir	--	--	--	--	--
8. Karnataka	9,131	462	1,103	3,674	14,370
9. Kerala	13,664	--	13	2,533	16,210
10. Manipur	71	--	97	1	169
11. Maharashtra	8,199	273	541	1,759	10,772
12. Madhya Pradesh	3,918	201	262	1,661	6,042
13. Meghalaya	193	--	8	--	201
14. Nagaland	--	--	--	--	--
15. Orissa	6,398	125	289	552	7,364
16. Punjab	4,416	442	--	1,965	6,823
17. Rajasthan	152	2	6	193	353
18. Sikkim	17	--	--	--	17
19. Tamil Nadu	13,608	148	1,224	3,408	18,388
20. Tripura	689	5	8	1	703
21. Uttar Pradesh	5,707	562	150	1,215	7,634
22. West Bengal	9,554	3	72	926	10,555
23. Chandigarh	4	--	--	27	31
24. Delhi	2	--	--	27	29
25. Pondicherry	193	--	8	33	234
26. Andman & Nichobar	116	--	--	--	116
27. Arunachal Pradesh	--	--	--	--	--
28. Dadra & Nagar Haveli	8	1	--	--	9
29. Lakshadweep	--	--	--	--	--
30. Goa	675	--	5	37	717
31. Mizoram	--	--	--	--	--
TOTAL -	90,091	4,237	8,362	33,557	1,36,247

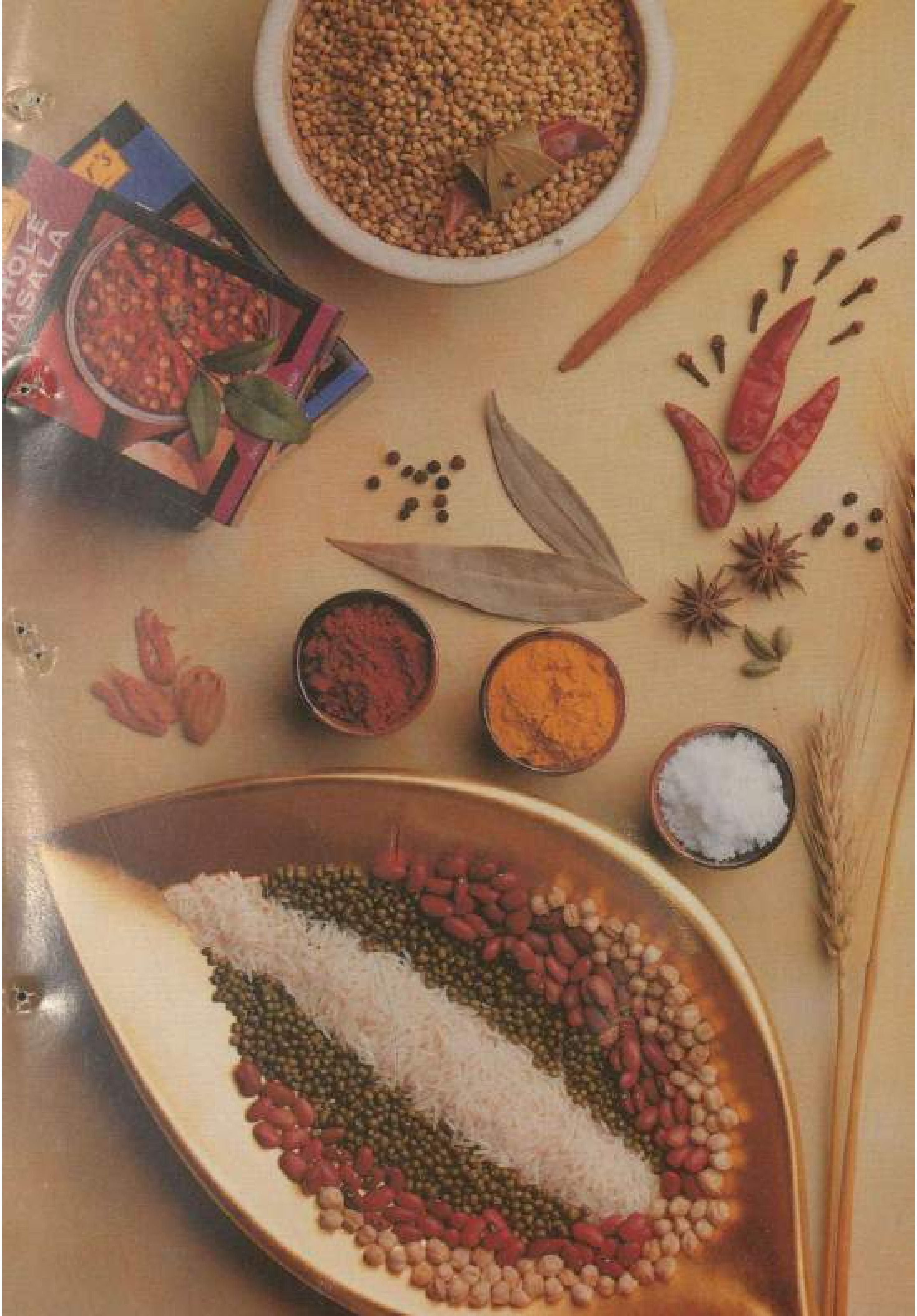
MASALA

राइस ब्रान का प्रयोग तेल उत्पादन के लिए
Utilisation of Rice Bran for Oil Production

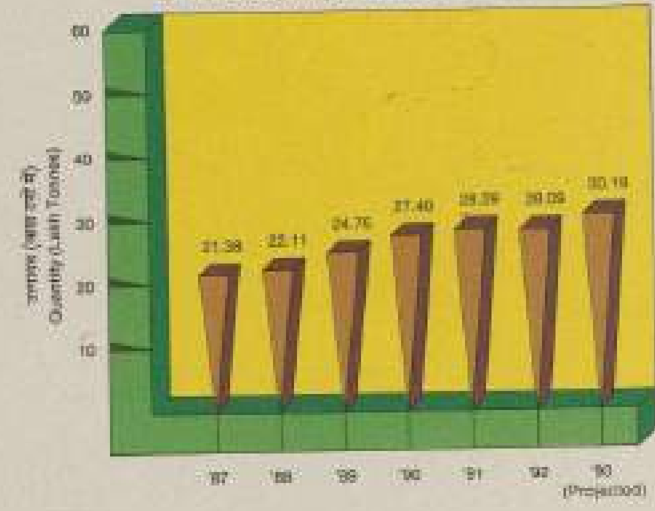

रोलर आटा मिलों की वृद्धि
Growth of Roller Flour Mills

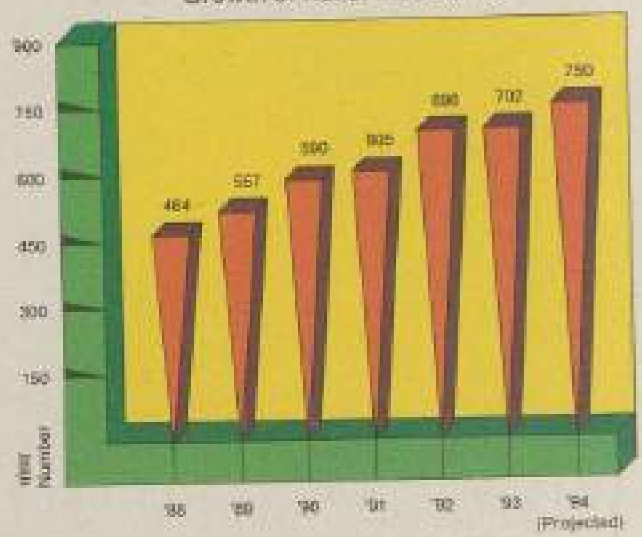

आधुनिक चावल मिलों की वृद्धि
Growth of Modern Rice Mills

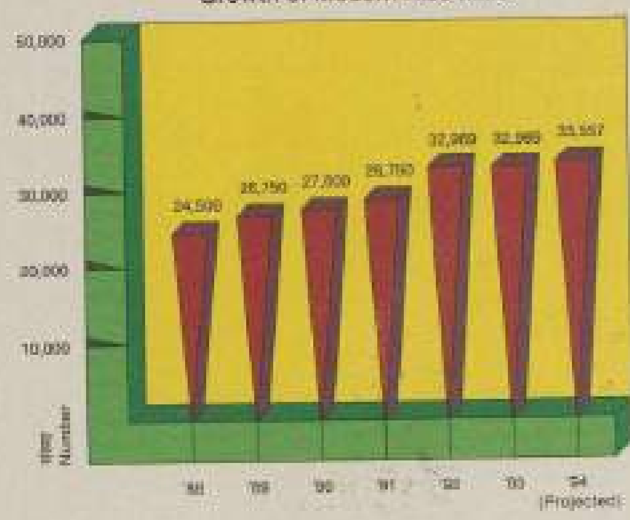

चावल का निर्यात (बासमती और गैर बासमती)
Export of Rice (Basmati and Non-Basmati)

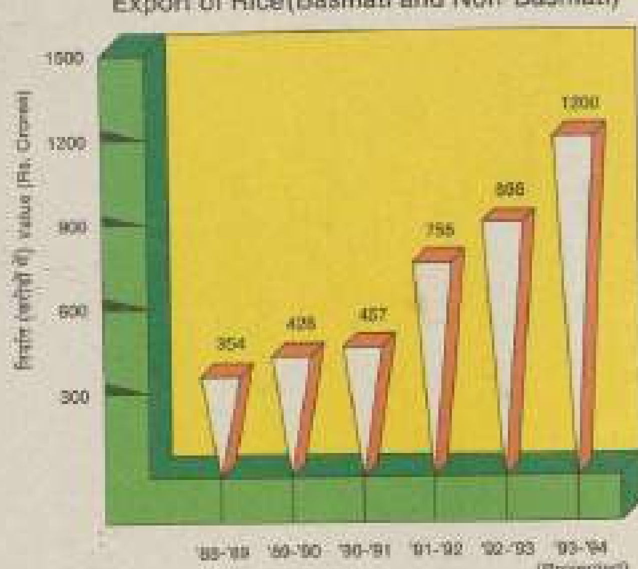

TABLE-II NUMBER OF ROLLER FLOUR MILLS IN THE COUNTRY AS ON 01-01-1994

S.No.	Name of State	Number
1.	Andhra Pradesh	58
2.	Assam	40
3.	Bihar	58
4.	Chandigarh	5
5.	Delhi	18
6.	Goa	2
7.	Gujarat	32
8.	Haryana	40
9.	Himachal Pradesh	15
10.	Jammu & Kashmir	19
11.	Karnataka	56
12.	Kerala	27
13.	Madhya Pradesh	31
14.	Maharashtra	57
15.	Nagaland	4
16.	Orissa	19
17.	Pondicherry	3
18.	Punjab	38
19.	Rajasthan	10
20.	Sikkim	3
21.	Tamil Nadu	60
22.	Tripura	2
23.	Uttar Pradesh	101
24.	West Bengal	49
25.	Manipur	1
26.	Meghalaya	2
	TOTAL	750

उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उपभोक्ता खाद्य उद्योग के अन्तर्गत मुख्यतया, पस्ता उत्पाद, कोको आधारित उत्पाद, बेकरी उत्पाद और बिस्कुट, बियर, शराब तथा पेय अल्कोहल, मृदु पेय इत्यादि जैसे खाने के लिए तैयार उत्पाद या पकाने के लिए तैयार उत्पाद आते हैं। इसके अलावा इस प्रभाग द्वारा स्टार्च, ग्लूकोज इत्यादि जैसे उत्पादों को भी देखा रहा है क्योंकि उत्पादों के लिए इनकी की भी आवश्यकता होती है। उच्च पोषक तत्व वाले सोयाबीन के उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उपभोक्ता उद्योग प्रभाग इस पहलू को भी देखता है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने बियर, पेय अल्कोहल और शराब को छोड़कर लगभग सभी खाद्य प्रसंसकरण उद्योगों को लाइसेंसे मुक्त कर दिया है ओर लघु उद्योग सेक्टर, दुग्ध उत्पादों तथा माल्टयुक्त खाद्यों के उत्पादों हेतु पूर्णतः आरक्षित उद्योगों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सभी सैक्टरों में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की स्वतः अनुमति प्रदान कर दी है।

खाने के लिए तैयार खाद्य, सोया उत्पाद, कोको उत्पाद, उच्च प्रोटीन वाले खाद्य, मृदु पेय इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग हैं।

सोयाबीन उत्पाद

अधिक प्रोटीन वाले सोया आधारित उत्पादों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इन उत्पादों को तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। सोया आधारित उत्पादों को दिनांक 25-7-1991 की अधिसूचना संख्या 477 ई के अनुलग्रक-3 में रखा गया है और यह उद्योग 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी वाले विदेशी सहयोग के स्वतः अनुमोदन की पात्रता रखते हैं। संगठित क्षेत्र में 4 यूनिट पहले ही विभिन्न सोया उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी स्थापित क्षमता 4,00,000 टन है। कुछ और यूनिटों के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए गये हैं जिनका उत्पादन निकट भविष्य में आरंभ होने की संभावना है।

कोको उत्पाद

चाकलेट, पेय चाकलेट, कोको बटर अनुकल्प और कोको पर आधारित दुग्ध आहार जैसे कोको उत्पादों के निर्माण के निए 20 यूनिट कार्यरत हैं जिनका चालू वर्ष में उत्पादन लगभग 41,000 टन है।
इन उत्पादों की वृद्धि बहुत से अन्य उत्पादों की वृद्धि के अनुरूप नहीं रही। गत चार वर्षों का उत्पादन इस प्रकार है:-

1990-91	39,383 मी० टन
1991-92	40,600 मी० टन
1992-93	40,700 मी० टन
1993-94 (प्रक्षिप्त)	41,200 मी० टन

उच्च प्रोटीनयुक्त खाद्य

संगठित क्षेत्र में 9 यूनिट हैं जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 13,610 मी० टन है। गत चार वर्षों के दौरान अनुमानित उत्पादन इस प्रकार रहा :-

1990-91	9,350 मी० टन
1991-92	10,100 मी० टन
1993-94	11,000 मी० टन
1993-94 (प्रक्षिप्त)	11,500 मी० टन

Chapter IV

CONSUMER FOOD INDUSTRIES

The consumer food industry mainly consists of ready-to-eat products or ready-to-cook products such as pasta products, cocoa-based products, bakery products and biscuits, beer, wines and potable alcohol, soft drinks etc. Besides, products like starch glucose etc. which are also required for food products are also being looked after in this Division. The soyabean products which have a highly nutritional value are also being promoted and Consumer Products Division looks into this aspect also. It may be mentioned that Government have delicenced almost all food processing industries except for beer, potale alcohol and wines. Automatic approval for foreign investment upto 51% have been introduced practically in all sectors of food processing Industries except for these which are reserved exclusively for products in small scale sector, milk products and malted foods.

Some of the important processed food industries are ready-to-eat foods, soya products, cocoa products, high protein foods, soft drinks etc.

Soyabean Products :

Considering the importance of protein-rich soya based products, the Government is trying to promote manufacture of these products. Soya based products have been placed in Annexure - III to the Notification No.477(E) dated 25-07-1991 and the industry is eligible for automatic approval for foreign collaboration involving foreign equity participation upto 51%. There are four units in the organised sector already manufacturing various soya products with an installed capacity of 40,000 tonnes. Proposals for some more units have been approved which are likely to come up in the near future.

Cocoa Products :

There are 20 units engaged in the manufacture of cocoa products, like chocolates, drinking chocolates, cocoa butter, cocoa butter substitute and cocoa based malted milk foods with a production of approximately 41,000 tonnes. The growth of these products has not been commensurate with many other food products. The production during the last four years is as under :-

1990-91	39383 Mts.
1991-92	40600 Mts.
1992-93	40700 Mts.
1993-94 (Projected)	41200 Mts.

मृदु - पेय

मृदु वातित पेय तैयार करने के लिए फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत लाइसेंस दिये गये 641 यूनिट हैं। इनमें से 95 बड़े बाटालिंग यूनिट हैं। मृदु वातित पेय यूनिटों की कुल वार्षिक क्षमता लगभग 4,800 मिलियन बोतल (200 मि० ली० की एक बोतल) है। वर्ष 1993-94 के दौरान मृदु वातित पेयों का उत्पादन लगभग 3000 मिलियन बोतल होने की आशा है।

100% निर्यातोन्मुखी यूनिट

बीयर और एल्कोहल को छोड़कर उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती किन्तु 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

विदेशी सहयोग के मामले

उपभोक्ता उद्योग क्षेत्र में अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान विदेशी सहयोग और विदेशी इक्विटी भागीदारी के 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। कुल प्रस्तावित विदेशी निवेश करीब 300 करोड़ रुपये है।

गैर-शीरा संसाधनों से पेय अल्कोहल

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सरकार ने गैर शीरा संसाधनों से पेय अल्कोहल तैयार करने की नीति कार्यन्वित की। गैर–शीरा संसाधनों से पेय अल्कोहल तैयार करने पर रोक में छूट दी गयी। गैर–शीरा कच्ची सामग्री से पेय अल्कोहल तैयार करने के लिए नई क्षमता स्थापित करने हेतु 54 यूनिटों को सरकार ने अब तक आशयपत्र जारी किए हैं। कुल मंजूर की गयी क्षमता 2.5 लाख किलो लीटर प्रतिवर्ष है। वर्ष के दौरान सरकार ने भारतीय संयुक्त उद्यम साझीदार की मौजूदा लाइसेंस क्षमता का उपयोग करते हुए स्काच विह्स्की और ब्लेंडेड स्काचविह्स्की के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश के लिए चार विदेशी कंपनियों को मंजूरी भी दी है। कुल अनुमोदित विदेशी निवेश 60 करोड़ रुपये से अधिक है।

गैर अल्कोहलिक बीयर सहित बीयर

इस समय बीयर का उत्पादन करने वाली यूनिटों की सं० 31 है और इसका अनुमानित उत्पादन 2.4 लाख किलोलीटर है। सरकार ने गत ढाई वर्षों में 96 आशयपत्र मंजूर किए हैं। इससे 5 लाख किलोलीटर की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। इसके अलावा गत ढाई वर्षों में 4 शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों को मंजूरी दी गई है। जिनकी कुल क्षमता करीब 50,000 किलोलीटर है। सरकार ने बीयर में विदेशी निवेश की भी अनुमति दी है। वर्ष के दौरान सरकार ने एक विदेशी कंपनी को भारतीय संयुक्त उद्यम साझीदार की मौजूदा लाइसेंस क्षमता का उपयोग करते हुए बीयर निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम में निवेश की अनुमति दी है। 100% विदेशी इक्विटी वाले 5 अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों को भी बीयर यूनिटों की स्थापना के लिए मंजूरी दी गयी है। बीयर उद्योग में कुल विदेशी पूंजी निवेश करीब 110 करोड़ रुपये है।

High Protein Foods :

In the organised sector, there are 9 units with a total annual installed capacity of 13610 Mts. The estimated production during the last four years is as under :-

1990-91	9350 Mts
1991-92	10100 Mts
1992-93	11000 Mts
1993-94 (Projected)	11500 Mts

Soft Drinks :

There are 641 units licensed under the Fruit Products Order for manufacture of Sweetened Aerated Water (SAW) of there, 95 units are large bottling units. The total annual capacity of SAW units is about 4800 million bottles (of 200 ml.). Production of SAW during the 1993-94 is expected to touch about 3,000 million bottles.

100% Export Oriented Units :

While no licence is required for setting up of consumer industries except beer and alcohol, proposals for setting up of 100% EOUs require the approval of the Govt. During the period from April 1993 to January 1994, 4 proposals for setting up of 100% EOUs have been approved by the Govt.

Foreign Collaboration Cases :

In Consumer Industries Sector, 8 proposals for foreign collaboration and foreign equity participation have been approved during the period April 1993 to January 1994. The total foreign investment proposed is approximately Rs.300 crores.

POTABLE Alcohol from non-molasses base :

During the year under report, the Government implemented the policy of manufacture of potable alcohol from non-molasses base. The ban on manufacture of potable alcohol from non-molasses was relaxed in 1988. So far, the Government has issued Letters of Intent to 54 units for creation of fresh capacity for manufacture of potable alcohol from non-molasses raw materials. The total capacity approved is approximately 2.5 lakhs kilo liters per annum. During the year, the Government has also permitted four foreign companies to invest in joint venture projects for manufacture of scotch whisky and blended scotch whisky by utilising existing licenced capacity of the Indian joint venture partner. Total foreign investment approved is over Rs.60 crores.

Beer, including non-alcoholic beer :

There are 31 units producing beer at present and estimated output is 2.4 lakh kilo

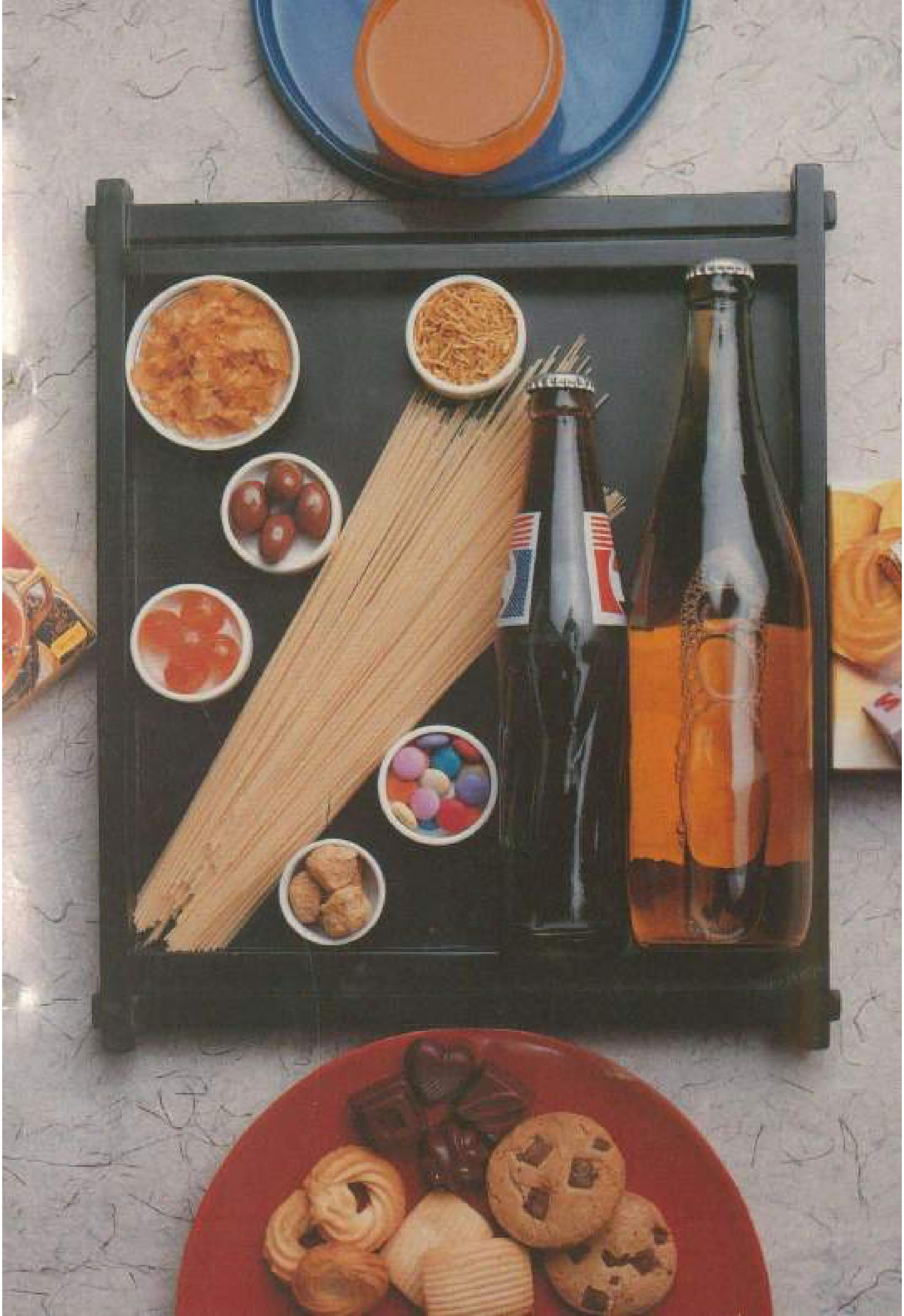

litres. Govt. has granted 96 Letters of Intent in the last 2-1/2 years. An additional capacity of about 5 lakh kilo litres has thus been approved. In addition, 4 cases of 100% EOU have been approved in the last 2-1/2 years with a total capacity of about 50,000 KLs. Govt. has also permitted foreign investment in beer. During the year, the government has permitted one foreign company to invest in joint venture for manufacture of beer by utilising existing licenced capacity of the Indian joint venture partner. Five NRI proposals with 100% foreign equity have also been granted permission to set up beer units. Total foreign investment in the beer industry is about Rs.110 crores.

अध्याय - 5

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण

भारत, उष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले कई किस्म के फल एवं सब्जियों का उत्पादन करता है। उपलब्ध खाद्य पदार्थों के संरक्षण और उनके प्रभावी उपयोग में प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रसंस्करण, ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी साधन हैं। भारत में अनुकूल जलवायु स्थितियां और फल और सब्जियों को उगाने के लिए अत्यधिक क्षमता है लेकिन फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत शामिल यूनिटों द्वारा फल तथा सब्जियों के कुल उत्पादन के करीब 1 प्रतिशत से कुछ अधिक का प्रसंस्करण किया जाता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्योग के सामने अनेक समस्याएं आ रही है जैसे उत्पादन की उच्च लागत, प्रसंस्करण की उच्च लागत, पैकेजिंग और दुलाई की उच्च लागत। नई औद्योगिक नीति में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों को उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों की सूची में रखा गया है और इस सेक्टर में निवेश के लिए विविध प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

संस्थापित क्षमता और उपयोग

फल और सब्जी उद्योग की कुल स्थापित क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि दिसम्बर 1993 के अंत तक इसकी क्षमता 12.60 लाख टन हो जाएगी जबकि दिसम्बर, 1992 के अंत तक इसकी क्षमता 11.08 लाख मी० टन थी। फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत आने वाली यूनिटों में कलैंडर वर्ष 1993 के दौरान 5.8 लाख टन प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पाद का उत्पादन हुआ।

प्रमुख प्रसंस्कृत मदें तैयार फल गूदा और रस, फल रस आधारित तैयार पेय, डिब्बाबंद फल और सब्जियाँ, जैम, शरबत, अचार, चटनी और निर्जलीकृत सब्जियां हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा फ्रोजन फल गूदा और सब्जियां, फ्रोजन सूखी सब्जी और फल, रिटोरेबल थैलियों में फल रस सांद्रण तथा सब्जी की तरी, डिब्बाबंद खुम्बी तथा खुम्बी उत्पाद तैयार करने शुरू कर दिए गए हैं।

अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान फल एवं सब्जी उत्पादों का करीब 180 करोड़ रूपये का निर्यात किया गया जबकि 1992-93 की इसी अवधि के दौरान 144 करोड़ रू० का निर्यात किया गया था। निर्यात किये गये मुख्य पदार्थ फल रस, फल गूदा जैम, अचार, चटनी, डिब्बाबंद मशरूम, डिब्बाबंद फल और सब्जियां, गूदा और रस सांद्रण, निर्जलीकृत सब्जियां, फ्रोजन फल और सब्जियां आदि हैं।

विनियमन और नियंत्रण

मंत्रालय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किए गये फल उत्पाद आदेश 1955 का संचालन करता है। इस आदेश में प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के उत्पादों के उत्पादन और विपणन के बारे में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्पाद विनिर्देशनों और दूसरी अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है। इस आदेश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लेबल लगाने और विपणन संबंधी अपेक्षाओं को भी निर्धारित किया गया है। सभी प्रसंस्करण यूनिटों को एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है जिसे परिसर का निरीक्षण करने के बाद स्वीकृत किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसर फल उत्पाद आदेश के उपबन्धों के अनुरूप है। मंत्रालय के तकनीकी स्टाफ द्वारा समय समय पर फैक्टरियों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि गुणवत्ता संबंधी विनिर्देशनों और सफाई तथा स्वच्छता को बनाए रखने की ओर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार क्वालिटी की जांच करने के लिए फल एवं सब्जी उत्पादों के नमूने फैक्टरियों से लिये जाते हैं। वर्ष के दौरान 4216 निरीक्षण कि गये और 3015 नमूने लिये गये और उनका विश्लेषण किया गया।

फल उत्पाद आदेश के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा यूनिटों की संख्या 31.1.92 के 4057 से बढ़कर 31.12.94

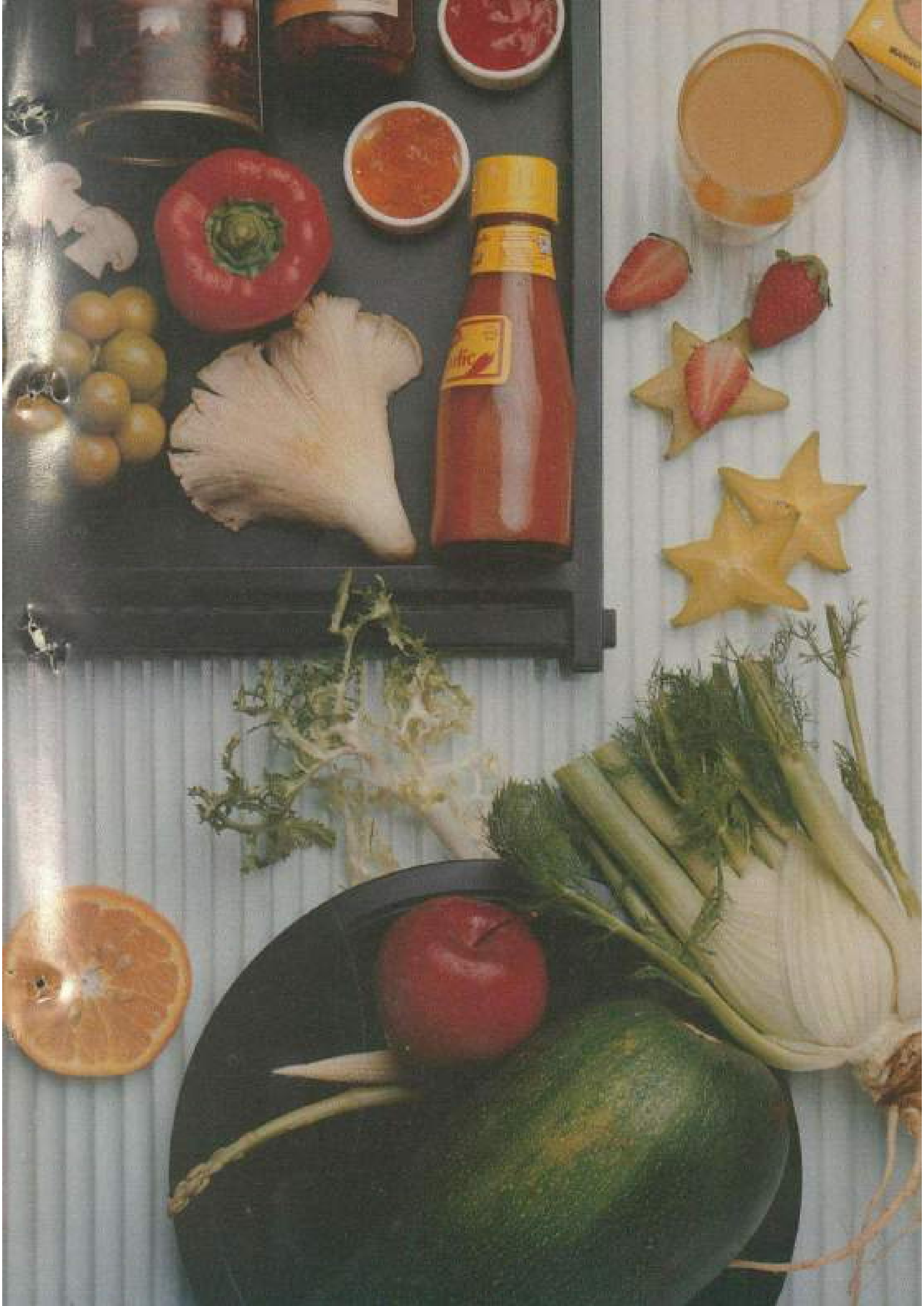

फल एवं सब्जी उत्पाद का उत्पादन
Production of F & V Products

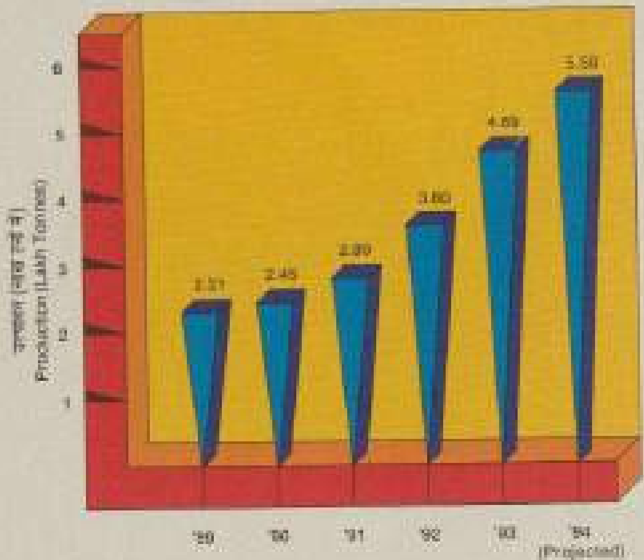

फल एवं सब्जी उत्पाद का निर्यात (संलग्नक सूखे अखरोट)
Exports of F & V Products
(Including Dried Walnuts)

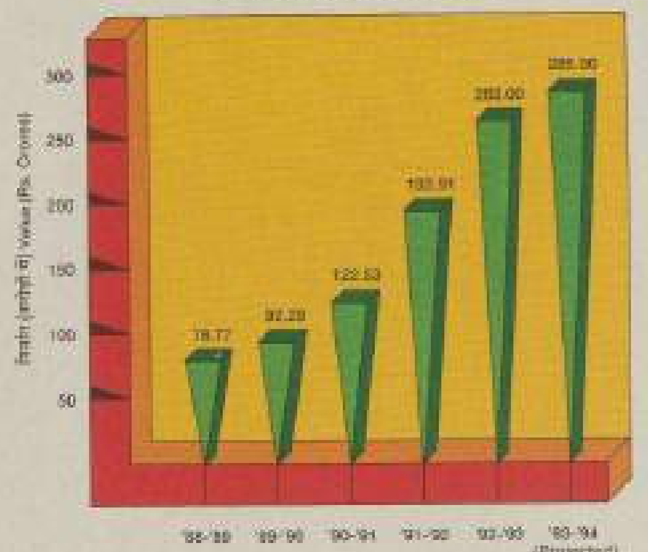

फल एवं सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र (रान्ची) में जातीय लोगों को प्रशिक्षण
Training of tribals at the FPTC plant in Ranchi.

हिमाचल प्रदेश में हॉप्स का उत्पादन
Production of HOPS in Himachal Pradesh.

Chapter V

FRUITS AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRIES

India grows a variety of temperate to tropical fruits and vegetables. Processing plays an important role in the conservation and effective utilisation of fruits & vegetables. The processing also helps in generating rural employment; besides, processed fruits and vegetables are a source of earning foreign exchange. India has favourable climatic conditions and vast potential for growing fruits and vegetables. However, slightly over one percent of the total production of fruits and vegetables is processed at present in the units covered under the FRUITS PRODUCTION ORDER. This is because of a number of problems faced by the industry such as high cost of production, high cost of processing, high cost of packaging and transportation. The new industrial policy has however placed the processed fruits & vegetables in the list of high priority areas and various incentives have been provided for investment in this sector.

INSTALLED CAPACITY AND UTILISATION:

The total installed capacity of fruits & vegetable processing industries has been increasing steadily and is estimated to be 12.60 lakh tons at the end of December, 1993 as compared to 11.08 lakh tons at the end of Decembers, 92. Production of processed fruits & vegetable products in the units covered under FPO during the calender year 1993 was 5.8 lakh tons.

The prominent processed items are ready to serve beverages, fruit pulps and juices, fruit based ready-to-serve beverages, canned fruits and vegetables, jams, squashes, pickles, chutneys and dehydrated vegetables. More recently, products like frozen fruit pulps dehydrated and freeze dried vegetables. Frozen fruits and vegetables products, fruits juice concentrates and vegetable currys in retoratble pouches, canned mushroom and mushroom products have been taken up by the fruits & vegetables processing industries.

The exports during the period from April, 93 to Jan 94 are estimated at Rs.180 crores as compared to Rs.144 crores during the corresponding period of 1992-93. The main item of exports were fruit juices, pulps, jams, pickles, chutneys, canned mushroom, concentrated pulp and juices, dehydrated vegetables, frozen fruits and vegetables and canned fruits & vegetables.

REGULATION AND CONTROL:

The Ministry administers the Fruit products Order, 1955(FPO) issued under the Essential commodities Act. The order lays down products specifications and other requirements for quality control on production and marketing of processed fruits and

को 4122 हो गई है।

जिन फल उत्पादों का निर्यात करना होता है उनका जहाज से लदान करने से पहले निरीक्षण किया जाता है और विश्लेषण हेतु नमूना लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद फल उत्पाद आदेश/क्रेता विनिर्देशनों के अनुरूप है। निर्यात के लिए अभिप्रेत कुछ उत्पादों के उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण किया जाता है । निर्यात के संवर्धन में महत्वपूर्ण विकास करने के लिए सरकार ने मान्यता प्राप्त निर्यात घरों और स्टार ट्रेडिंग हाउसिज को जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण करने की शर्त के बिना माल का निर्यात करने की अनुमति दे दी है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि निर्यातकों को उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे देश से मुख्यतया आम का गूदा, सांद्रण, अन्य फलों का गूदा, अचार, चटनी, निर्जलीकृत सब्जियां और डिब्बाबंद फल एवं सब्जियों का निर्यात किया जाता है।

प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों के लिए मानक तैयार करने के लिए यह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है। भारतीय मानक ब्यूरो, केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर तथा निर्यात निरीक्षण परिषद के साथ भी निकट सम्पर्क बनाए रखा गया है। यह मंत्रालय केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशालाओं के अलावा, खाद्य विभाग की खाद्य विश्लेषण प्रयोगशालाओं का उपयोग कर रहा है।

मंत्रालय का परामर्शदात्री एकक है जो फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए सेवायें प्रदान करता है। यह एकक तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से कच्चे माल की वसूली, प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी, विपणन ब्यौरे, फैक्टरी का नक्शा, भवन और मशीनरी तथा आर्थिक व्यवहार्यता जैसे परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श सेवाएं देता है।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी युनिट

यद्यपि फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है परन्तु लाइसेंसमुक्त मानदण्डों के अन्तर्गत न आने वाले 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के प्रस्ताव और दूसरे प्रस्तावों के लिए इस मंत्रालय की सिफारिशों पर सरकारी स्वीकृति लेना आवश्यक है। अप्रैल, 93 से जनवरी, 94 की अवधि के दौरान 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के ऐसे 35 प्रस्तावों को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। जुलाई, 1991 से ऐसी मंजूरियों की संख्या अब 77 हो गयी है। इनमें से 46 प्रस्तावों में विदेशी पूंजी निवेश निहित है। 8 शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सेक्टर को दी गई योजना सहायता

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को प्रभावित करने वाली कतिपय बड़ी अड़चनों को दूर करने और इसके विकास को आवश्यक गति देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास फल एवं सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर में अनेक योजना स्कीमें हैं। इनके अन्तर्गत उद्यमियों के प्रशिक्षण, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, ठेके पर खेती के माध्यम से बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, शीत–भंडारण खुम्बी आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, विज्ञापनों के माध्यम से बाजार संवर्धन, एफ पी ओ चिन्ह का प्रचार, सामान्य ब्राण्ड नामों के अन्तर्गत छोटे निर्माताओं के उत्पादों का विपणन, क्वालिटी नियंत्रण, प्रयोगशालाओं की स्थापना और पैकेजिंग सहित नई तकनीकों और पद्धतियों का पता करने के लिए अनुसंधान एवं विकास की स्कीमें शामिल हैं।

vegetables. Labeling and marketing requirements to product the consumer interest have also been prescribed under the order. All processing units are required to obtain a licence which is granted after ascertaining that the process confirms to the hygienic conditions specified under FPO. Periodical inspections of the units are carried out by the technical staff in order to ensure that the quality specifications and hyghienic conditions are maintained. Random samples of processed fruits and vegetables are drawn from the factory to exercise check on quality as per the specifications laid down. During the year 4216 nos. of inspections were carried and 3015 nos. of samples drown & analysed.

The total number of licensed units under FPO have increased from 4057 as on 31.12.92 to 4132 as on 31.12.93.

The consignment of fruit products intended for exports are subjected to pre-shipment inspection wherein samples are drawn for analysis to ensure conformity to the FPO/buyers specifications. Continuous inspection is also carried out for some products meant for exports to ensure quality according to specifications. As a significant step towards export promotion, Govt. has allowed the recognised Export House and Star Trading Houses to export consignments without subjecting to preshipment inspection. The impact of this is expected to be positive because the exporters have been given the responsibility of ensuring the quality of processed fruits and vegetables exported by them. The main items of exports from our country are mango pulp concentrates, other fruit pulps, pickles, chutneys, dehydrated vegetables and canned fruit & vegetables.

The Ministry keeps a close liaison with the Ministry of Health for formulation of standards for the processed fruit and vegetables. A close liaison is maintained with the Bureau of Indian Standards, Central Food Technological Research Institute (CFTRI) as with the Export Inspection Council. The Ministry utilises the food analysis laboratories of the Ministry of food, besides the laboratories of Mysore, (CFTRI).

Ministry of food Processing industry has a Consultancy Cell which offers professional services for the preparation and appraisal of Tecno-economic feasibility reports for setting up the Fruit and Vegetable processing units. The cell through their technical experts provide consultancy services on various different aspects of project such as raw material, procurement, processing technology, marketing details layout and design of the factory, details of machinery, economic viability and the structural aspects of building etc.

<u>100% Export Oriented Units</u> :

While no industrial licence is required for setting up of fruits & vegetable processing industries, proposals for setting up of 100% EOUs and other such proposals which do not fall within the parameter of delicensing continue to require the approval of the Govt. based on the recommendations of this Ministry. During the period from April '93 to January' 94 35 such proposals for setting up of 100% EOUs have been approved by the Government. Number of such approvals since July, 1991 now stands at 77. Of these 46 proposals involve foreign equity investment. Eight 100% EOUs started commercial production.

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए स्कीम के अन्तर्गत सहकारिताओं, गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी संगठनों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए और बेरोजगार युवकों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों सहित उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे केन्द्रों की स्थापना के वास्ते संयत्र, मशीनरी और उपकरण के लिए 2 लाख रुपये तक और मूल पूंजी के रूप में 1 लाख रूपये तक सहायता दी जाती है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण सभी प्रासंगिक गतिविधियों जैसे प्रौद्योगिकी, उत्पादन, विपणन, लेखा–जोखा रखना, गुणवत्ता नियंत्रण आदि पर दिया जायेगा। इन खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा छोटे यूनिटों के प्रचालन और प्रबन्ध में व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी लेखा–जोखा रखने, निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण से उत्पादों के विपणन तक में भाग लेंगे ताकि वास्तविक स्थितियों की जानकारी और अनुभव उन्हें प्राप्त हो सके जिससे वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए उनमें विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार की शिक्षा से सहयोग की भावना उत्पन्न होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण सहकारिताओं के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 1992-93 में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 38 ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गयी। कुछ केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और शेष केन्द्रों को चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा वर्ष के अन्त तक उनके राज्य में स्थित केन्द्रों को चालू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 29 ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए भी सहायता दी गयी है। असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा से प्राप्त 31 और प्रस्तावों को भी हाल ही में मंजूरी दी गयी है। रिपोर्ट मिली है कि पहले स्थापित किए गये खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों के कुछ प्रशिक्षणार्थी उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं।

फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और बुनियादी ढांचे वाले यूनिटों की स्थापना के लिए स्कीम के अन्तर्गत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/उन्नयन तथा फसलोत्तर प्रसंस्करण और भण्डारण आदि के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं स्वैच्छिक संगठनों, स्वायत्त निकायों, संयुक्त क्षेत्र के यूनिटों , सहायित और निजी क्षेत्र के यूनिटों को सहायता दी जाती है। वर्ष 1992-93 में स्कीम के अन्तर्गत 8 ऐसे प्रस्तावों के मामले में सहायता दी गयी और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब तथा नैफेड की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 333.15 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये। इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है और इनका प्रचालन कार्य शीघ्र आरंभ होने की आशा है। अंगूरों की फसलोत्तर (पूर्व–प्रशीतन) सुविधा के लिए महाराष्ट्र के मै० महाग्रेप्स की एक परियोजना स्थापित और चालू की जा चुकी है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है और इस परियोजना के माध्यम से देश में वाणिज्यिक पैमाने पर फलों के पूर्व प्रशीतन के लिए प्रौद्योगिकी की शुरूआत की गयी है। इससे अंगूरों को सुरक्षित रखने की मियाद बढ़ाने में मदद मिली है और समुद्री रास्ते से यूरोप को अंगूरों का निर्यात करना संभव हो पाया है। अन्य उद्यमी भी इसका अनुकरण कर रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष में असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब और तमिलनाडु से प्राप्त 8 प्रस्तावों के मामले में सहायता दी गयी है। इनमें से कुछ में नियंत्रित जलवायु भण्डारण प्रणालियों की स्थापना शामिल है जो फल और सब्जियों के भण्डारण के लिए शुरू की जा रही है दूसरी आधुनिक प्रणाली है।

प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा ठेके पर खेती करने को प्रोत्साहन देता है। बैकवर्ड लिंकेज को सुदृढ़ करने की

Plan assistance provided to the Fruits & Vegetables Processing Sector :

In order to remove some of the major constraints affecting the fruit and vegetable processing industries and to provide the necessary impetus to its growth, Ministry of Food Processing Industries have several plan schemes in the fruits and vegetable processing sector. These includes schemes for training of entrepreneurs, setting up of F&VP units, development of backward linkages through contract farming, development of infrastructure such as cold storages, infrastructure for mushrooms etc., market promotion through advertisement, promotion of FPO symbol and marketing of small manufacturers products under common brand name, setting up of quality control labs and R&D in identifying new techniques and practices including those for packaging.

Under the scheme for setting up of Food Processing Training Centres in rural areas, assistance is provided upto Rs.2 lakhs for plant, machinery and equipments and Rs. 1 lakh towards seed capital for commercial production to cooperatives, non-governmental organisation voluntary organisations, govt. organisations etc. for setting up of such training Centres to provide training to entrepreneurs including unemployed youth and SC/ ST trainees. Training in these Centres will be for all relevant activities such as technology, production, marketing, book keeping, quality control, etc. These Food Processing Training Centres will provide hands on experience in operating and managing a small unit. The trainees will participate in each activity from book keeping, manufacturing, quality testing to marketing of products so as to get an exposure and experience of real situations which will instill confidence in them to set up and run commercial ventures. This type of education is also to generate a spirit of cooperation and encourage formation of Food Processing Cooperatives in rural areas.

In the financial year 1992-93, assistance was provided for setting up 38 such Centres covering States of Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Mizoram, Uttar Pradesh and West Bengal. Some of the Centres have already started functioning. Uttar Pradesh and West Bengal Governments are also taking steps to make the Centres operational by the end of the year. During the year under report, assistance have also been provided for setting up of 29 such Centres in the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Nagaland, Uttar Pradesh and West Bengal. 31 more proposals from the States of Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh and Orissa have also been approved recently. Some trainees from FPTCs established earlier are reported to have already been engaged in the production.

Under the scheme of setting up of F&VP units and infrastructure units, assistance is provided to the State government organisations, cooperatives, voluntary organisations, autonomous bodies, organisations, cooperatives, voluntary organisations, autonomous bodies, joint sector units, assisted & private sector units for setting up/upgrading of F&VP units and food processing units as well as development of infrastructure for post-harvest processing and storage, etc. In the year 1992-93, 8 such proposals were assisted under the scheme and Rs.333.15 lakh were made available for various projects from Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Punjab and NAFED. These projects are under implementation and likely to go into operation soon. One project of M/s Mahagrapes of

स्कीम के अंतर्गत कम से कम 25 किसानों के साथ ठेके के लिए खरीद मूल्य के 5% तक की सहायता दी जाती है परन्तु यह धनराशि प्रति यूनिट 10 लाख से अधिक नहीं होगी। रिपोर्टाधीन वर्ष में ऐसे 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है और कुछ ऐसे प्रस्तावों की पुनरीक्षा की जा रही है।

खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण से घरेलू और निर्यात बाजार में उसकी बिक्री की अच्छी संभावनाएं हैं। खुम्बी की खेती और प्रसंस्करण की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए यह मंत्रालय बुनियादी सुविधाओं के विकास की एक स्कीम लागू कर रहा है जिसके अन्तर्गत स्पान प्रयोगशालाओं की स्थापना, कम्पोस्ट पास्चराइजेशन और प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक बिहार, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम स्थित संगठनों को सहायता दी गई और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जिन कार्यों के लिए सहायता दी गई थी वे पूरे हो चुके हैं।

इस योजना के अन्तर्गत शुरू के वर्षों में पंजाब स्थित एक बड़ी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकीकृत खुम्बी परियोजना उत्पादन तथा प्रसंस्करण यूनिट को भी सहायता दी गई थी। आशा है अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में वहां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

बीयर तैयार करने के लिए हॉप्स एक अनिवार्य कच्चा माल है। बीयर उद्योग की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से आने वाले वर्षों में हॉप्स की काफी मांग होने की संभावना है। इस समय हॉप्स की आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर आदि राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में हॉप्स के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु बनाई गई एक स्कीम के अंतर्गत हॉप्स का विकास और प्रसंस्करण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए 73 लाख रू० (1992-93 में 40 लाख रू० और 1993-94 में 33 लाख रू०) की धनराशि रिलीज की गई है।

Maharashtra for post-harvest (pre-cooling) facility for grapes is already been set up and commissioned. This project is the first of its kind and through this technology of precooling of fruits project have been introduced in the country. This has helped increasing shelf life of grapes and export of grapes by sea route to Europe has been made possible; this example is being emulated by other also. In the year under report, assistance have been provided for 8 proposals received from Assam, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Punjab and Tamil Nadu Some of these include establishment of controlled climate storage systems - another modern system being introduced for storage of fruits & vegetables.

In order to ensure regular supply of raw materials to the processing industries, this Ministry seeks to encourage contract farming by the processing industries. Under the scheme for straightening of backward linkages, assistances is provided for contract with at least 25 farmers upto 5% of purchase price subject to a coiling of Rs.10 lakh per unit. 4 such proposals have already been approved in the year under report and a few more such proposals are under examination.

Growing and processing of mushrooms offer a potential both for domestic and export markets. In order to remove major constraints in processing and cultivation of mushrooms, this Ministry is implementing a scheme for development of infrastructure for which assistance is provided for setting up of spawn laboratories, compost pasteurisation and processing facilities for mushrooms. Assistance under this scheme has so far been provided to organisations located in Bihar, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Nagaland and Mizoram and those in Bihar, Orissa, Madhya Pradesh have already been completed.

A large 100% export oriented integrated mushroom production and processing unit in Punjab was also assisted under scheme in the earlier years is expected to go into commercial production in the beginning of the next financial year.

Hops is an essential raw-material required for the manufacture of beer. With the increase in production capacity in the beer industry a considerable demand for hops is likely to be generated in the coming years. At present the domestic requirement of hops is met by imports. In order to save foreign exchange, development and processing of hops is being taken up under a scheme formulated for providing assistance for developing hops and its processing in hilly regains of UP, HP and J&K etc. A sum of Rs.73 lakhs (Rs.40 lakhs in 1992-93 and Rs.33 lakhs in 1993-94) has been released for developing such facilities in the State of Himachal Pradesh.

अध्याय - 6

1. दूध व दूध से बने उत्पाद :

आज भारतवर्ष दूध का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुग्ध उत्पादन में यह अपूर्व बढ़ोत्तरी विशेषतया बृहत बाजार प्रोत्साहन और ऑपरेशन फ्लड और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों व केन्द्रीय डेरी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध तकनीकी निवेशों के कारण हुई है। दुग्ध उत्पादन जो 1947 और 1970 के बीच केवल 1% की वार्षिक वृद्धि दर पर लगभग स्थिर था, अब सातवीं योजना अवधि के दौरान 4.5% वार्षिक औसत उत्पादन दर से भारी बढ़ोत्तरी की ओर अग्रसर है। 1992-93 के दौरान 58.6 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन होने का अनुमान है और 1993-94 के दौरान इसके 60.8 मिलियन टन तक पहुँचने की आशा है। पशु विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा संयुक्त प्रयास किए गए हैं। दूध की अधिकता वाले मौसम में दूध को दुग्ध पाउडर में बदलने के लिए सहकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में सुविधायें लगाई गई हैं। दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए कुछ सुविधायें प्राइवेट सेक्टर में भी दी गई हैं।

वर्ष 1975-76 में दुग्ध–उत्पादों के आयात पर रोक लगाने के बाद संगठित सेक्टर में मक्खन, पनीर, शिशु दुग्ध आहार, दुग्ध पाउडर इत्यादि के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। शिशु दुग्ध–आहार सहित दुग्ध–पाउडरों का उत्पादन वर्ष 1992 में 1,65,000 टन से की तुलना में वर्ष 1993 में बढ़कर 1,85,000 टन हो गया है। लेकिन माल्टयुक्त खाद्य सहित माल्टयहुक्त दुग्ध आहार का उत्पादन वर्ष 1992 में 41,300 टन घटकर वर्ष 1993 में 32,000 टन रह गया है। वर्ष 1993 में पनीर और संघनित दुग्ध का उत्पादन क्रमशः 3100 टन और 7800 टन होने का अनुमान है।

हालाँकि डेरी सेक्टर में पर्याप्त प्रौद्योगिकी प्रगति की गई है किन्तु मट्ठे में से खाद्य दुग्ध केसिन और लेक्टोस के आयात प्रतिस्थापन के लिए कुछ अनुसंधान और विकास प्रयत्न किए गए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) करनाल भारतीय स्थितियों के अनुरूप यथोचित दुग्ध प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का विकास करने और विभिन्न प्रकार के दुग्ध–उत्पादों और निर्मित खाद्य–पदार्थों के विकास, उन्नयन और आधुनिक तरीके से प्रसंस्करण करने में सफल रहा है। इन अनुसंधानों में से बहुत से औद्योगिक दोहन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल ने क्रीम और मक्खन से सतत प्रक्रिया के तहत सीधे ही घी तैयार करने का सफल प्रयोग किया है।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिए जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में दुग्ध–उत्पाद निर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए उद्यमियों से लगभग 850 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जो विद्यमान यूनिटों के विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं। इन उत्पादों में बहुत से दुग्ध–उत्पादों को बनाना शामिल है जिसमें लेक्टोस और केसिन जैसे आयात प्रतिस्थापन शामिल हैं। विदेशी सहयोग से इन वस्तुओं के निर्माण के लिए दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है।

इस वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में मुख्यतः अच्छे मानसून के कारण विभिन्न राज्यों में कच्चे दूध की प्राप्ति और विभिन्न दुग्ध–उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। घी और एस एम पी आदि जैसे दुग्ध उत्पादों के खुदरा मूल्यों में इस वर्ष गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण बाजार में इन वस्तुओं की भरमार होना, तेल के मूल्यों में गिरावट आना और मन्दी वाली बाजार दशाएँ हैं। सरकार ने हाल ही में दुग्ध–उत्पादों के निर्यात को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से भारत प्रसंस्कृत दुग्ध और दुग्ध–उत्पादों का निर्यात करने की स्थिति में आ गया है और आशा है कि 1993-94 में देश लगभग 5 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के बराबर और 1994-95 में 10 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के बराबर दुग्ध उत्पादों का निर्मात करने की स्थिति में होगा।

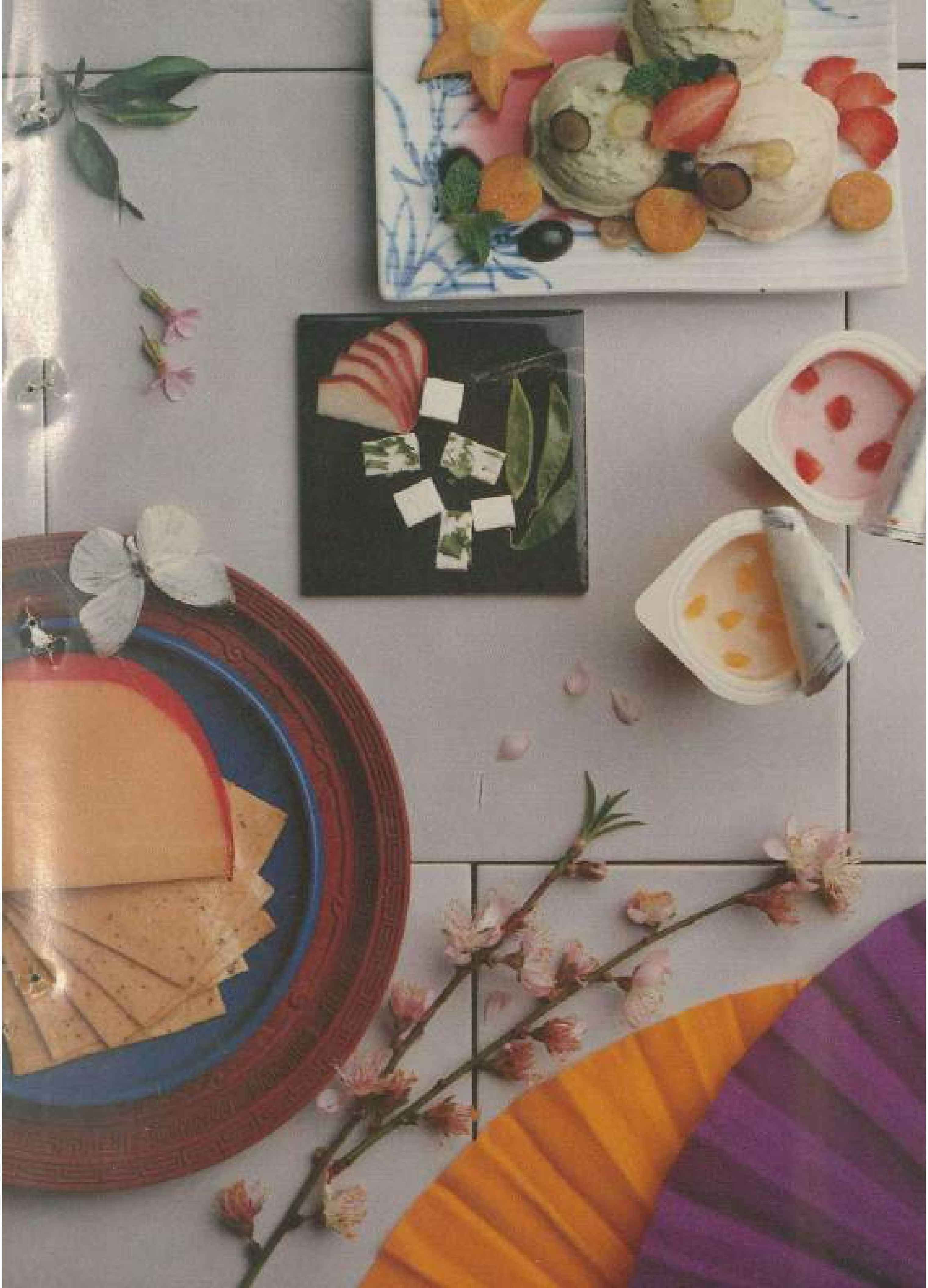

दुग्ध उत्पाद का उत्पादन (आइसक्रीम के अलावा)
Production of Various Milk Products (Other Than Ice-Cream)

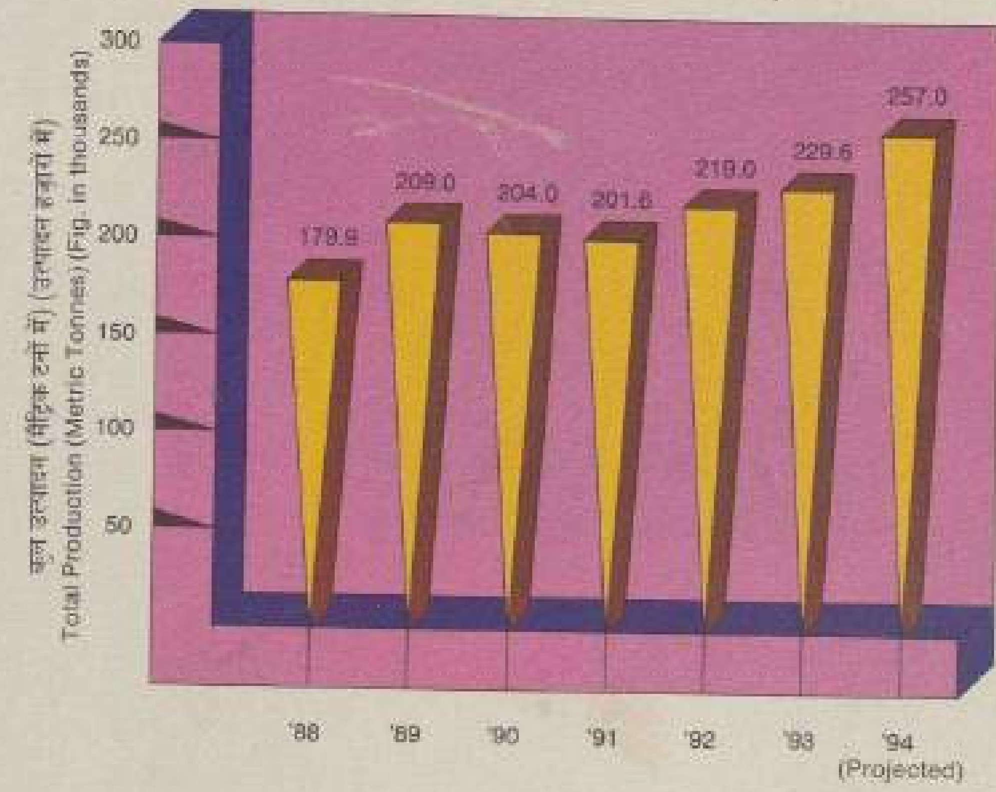

Chapter VI

MILK & MILK PRODUCTS

India is today the second largest milk producing country in the world. This spectacular increase in milk production is especially due to enormous market stimulus and technical inputs made available under programmes like Operation Flood and various other states and Central Dairy Development Programmes. Milk production which was almost stagnant between 1947 and 1970 with an annual growth rate of merely 1% has since then shown a vigorous upward trend with an average growth rate of 4.5% per annum during the Seventh Plan Period. The milk production during 1992-93 is estimated to be 58.6 million tonnes and is expected to reach the level of 60.8 million tonnes during 1993-94. Concerted efforts have been made by the Central Government in the field of cattle development. Facilities have been created in the cooperative/public sector to convert surplus milk into milk powder during the flush season. Certain facilities for manufacture of milk products have also developed in private sector.

In the organised sector the production of butter, cheese, infant milk food, milk powder etc. has increased after the import of milk products were stopped in the year 1975-76. The production of milk powders including infant milk food has increased from 1,65,000 tonnes in the year 1992 to 1,85,000 tonnes in the year 1993. However, the production of malted milk food including malted food has decreased from 41,300 tonnes in the year 1992 to 32,300 tonnes in the year 1993. The production of cheese and condensed milk in the year 1993 is estimated at 3100 tonnes and 7800 tonnes respectively.

In dairy sector while sufficient technological advancement has been made, some R&D efforts for import substitution for edible milk casein & lactose out of whey need to be done. The national Dairy Research Institute (NDRI) Karnal has been engaged in evolving appropriate milk processing technologies to suit Indian conditions and has been successful in developing, upgrading and modernisation process for variety of milk products and formulated foods. Many of these innovations are ready for industrial exploitation. Besides, NDRI, Karnal have tried successfully ghee on continuous process directly from cream and butter.

About 850 memoranda have been received from entrepreneurs to set up milk products manufacturing units in different parts of the country besides expansion programme by the existing units since the manufacture of milk products has been delicenced under I (D&R) Act.51. These products include manufacturing of number of milk products including import substitute like lactose and casein. Two proposals with foreign collaboration to manufacture these items have also been cleared.

During this year there has been increasing trend in procurement of raw milk & production of various milk products in various states mainly due to good monsoon in different parts of the country. Retail prices of milk products like ghee and SMP etc. have shown downward trend this year. This has been mainly due to glut of these commodities in the market, downtrend in oil prices and sluggish market conditions. The Govt. has decanalised the export of milk products recently. The increase in milk production is already placing India in a position to export processed milk and milk products and it is expected that the country will be in a position to export milk products of value nearly US $ 5 million in 1993-94 and worth US $ 10 million in 1994-95.

अध्याय - 7

मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण

खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुमानों के अनुसार पाल्ट्री उत्पादों सहित मांस उत्पादन का वर्तमान स्तर करीब 27 लाख टन है। मांस और मांस उत्पादों के वर्तमान उत्पादन के बारे में भारतीय सांख्यिकीविदों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु भारतीय सांख्यिकीविदों द्वारा मांस और मांस उत्पादों के बारे में दिए गये पुराने अनुमान 14 लाख टन प्रतिवर्ष हैं। मांस की वृद्धि दर करीब 16% होने का अनुमान है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक डा० के. एस. सिंह द्वारा लिखी गयी पुस्तक "पीपल्स ऑफ इंडिया" के अनुसार करीब 20% व्यक्ति शाकाहारी हैं जिसका यह अर्थ हुआ कि करीब 80% व्यक्ति मांस, मांस उत्पाद, अंडों आदि का सेवन करते हैं।

मांस उत्पादन के लिए सामान्यतया जिन पशुओं का उपयोग किया जाता है वे भेड़ और बकरी, गाय, भैंस, सुअर और पाल्ट्री हैं। देश के कुछ भागों में विशेषकर पूर्वोत्तर में मिथुन जैसे पशुओं का भी मांस के लिए उपयोग किया जाता है। कुल उत्पादन में से, विभिन्न स्रोतों से उत्पादित मांस का प्रतिशत इस प्रकार है – गाय और भैंस 44, भेड़ और बकरी 27, पाल्ट्री 14 और अन्य 15 । परन्तु पशुओं की संख्या की तुलना में वध दर इस प्रकार है – गाय 1.45%, भैंस 3.45%, भेड़ 32.5%, बकरी 35.58% और सुअर 26.21%। कुल मांस का करीब 1% मांस उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। सौसेज, हैम, बैकन, सलामी, फ्रैंक–फर्टर्स, मांस उत्पाद और चिकन करी, मटन करी, मटनचंक आदि जैसे डिब्बाबंद मांस उत्पाद सामान्यरूप से तैयार किए जाने वाले मांस उत्पाद हैं। केवल सुअर मांस उत्पादों से ही अधि कतम उच्च–मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जाते हैं। परन्तु मटन ब्रेक चंक और करी जैसे डिब्बाबंद उत्पादों को मुख्यतः सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए तैयार किया जाता है। देश में पाल्ट्री मांस उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि देश में करीब 2280 लाख चूजों और 223000 लाख अंडों का उत्पादन किया जाता है।

मांस प्रसंस्करण

निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए भैंसों के वध हेतु देश में 3600 बूचड़खानों के अलावा 5 आधुनिक बूचड़खाने (एबेटायर्स) और एक एकीकृत बूचड़खाना–मांस प्रसंस्करण संयंत्र हैं। संयुक्त उद्यम में दूसरे एकीकृत भैंस मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा 24 ऐसे मांस प्रसंस्करण संयंत्र हैं जो मुख्यतः मांस उत्पादों के निर्यात में लगे हुए हैं। इनमें 13 शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी युनिट भी हैं। पिछले एक वर्ष में 3 नये निर्यातोन्मुखी भैंस मांस प्रसस्करण यूनिटो को मंजूरी दी गई है और वह कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा कुछ पशु केसिंग यूनिट हैं जो भेड़ व बकरी तथा गायों की आंतों को एकत्र करने, श्रेणी बंद करने और उनका निर्यात करने में लगे हैं।

सुअर मांस प्रसंस्करण

पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्थापित सात सुअर मांस फैक्टरियों के अलावा तीन सुअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र गुवाहाटी, असम, आइजोल, मिजोरम और दीमापुर, नागालैंड में स्थापित किए जा रहे हैं। एक सुअर–मांस फैक्टरी को बदल कर मांस परिसर भी बनाया गया है और इसमें सुअर–मांस उत्पादों के अलावा बकरी मांस और मुर्गी उत्पादों को तैयार किया जा रहा है।

पाल्ट्री प्रसंस्करण

देश में बहुत से छोटे पाल्ट्री ड्रेसिंग संयंत्र हैं। इन संयंत्रों में ड्रेस चिकन तैयार किये जाते हैं। इन संयंत्रों के अलावा पांच आधुनिक एकीकृत पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनमें ड्रेसड चिकन, चिकन के कटे हिस्से

NCHEON MEAT
SAUSAGES

मांस और पाल्ट्री उत्पाद का निर्यात
Export of Meat and Poultry Products

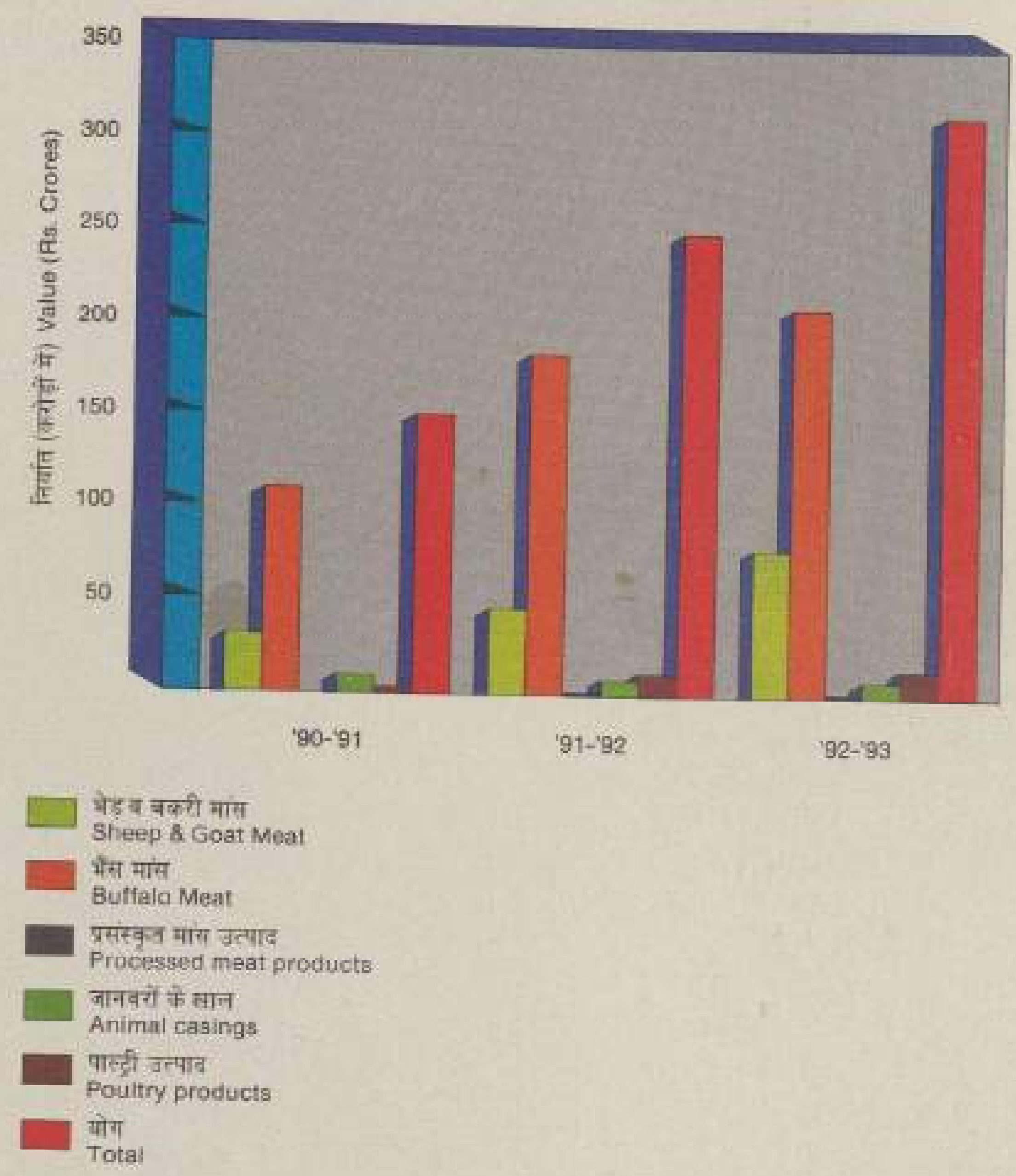

Chapter VII

Meat and Poultry Processing

The relent level of meat production from Sheep, Goat, Cattle, Pig and poultry is estimated to be about 2.7 million tons as per the FAOs estimates. The estimates of the India Statistician for current production of meat and meat products is not available. However, the old estimates of the meat and meat products given by the Indian Statistician is 1.4 million tons per year. The growth rate of meat is estimated to be about 16% According to a book People's of India written by Dr.K.S.Singh, Director General, Anthropological Survey of India, about 20% of the communities are vegetarian which implied that about 80% of the communities eat meat, products, eggs etc.

Animals which are generally used for production of meat comprised of sheep and goats, cattle, buffaloes, pigs and poultry. In some parts of the country particularly in the north east, other species of animals like Methun are also used as meat animals. Out of the total production, the percentage of meat produced from different sources; cattle and buffaloes 44, sheep and goat 27, poultry 14, and others 15. However, the slaughther rates in relation to the population of the animals are 1.45% in case of cattle, 3.45% in case of buffaloes, 32.5% in case of sheep, 35.58% in case of goats, 26.21% in case of pigs. About 1% of the total meat is converted into meat products. The commonly manufactured meat products are sausages, ham bacon, salami, frank-furters, canned meat products like chicken curries, mutton curries, mutton chunks, etc. The maximum conversion of high value added meat products takes place only in case of perk products. However, canned products like mutton chunks and curries are produced mainly for army and para-millitary forces. The poultry meat production is gaining ground in the country. It is estimated that about 228 million broilers and 2233000 million eggs are produced per annum.

Meat Processing :

Besides about 3600 slaughter houses, there are five modern abattoirs and one integrated abattoir meat processing plant for slaughtering buffaloes for exports and domestic consumption. Another integrated buffalo meat processing plant in the joint venture is being established. In addition, there are 24 meat processing plants including 13 ,hundred percent export oriented units who are mainly engaged in export of meat products. In the last one year three new export oriented units of buffalo meat processing have been approved and are reportedly under implementation. In addition, there are few animal casing units engaged in collecting cleaning, grading and exporting sheep and goat and cattle guts.

और देसरे चिकन उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस मंत्रालय की सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक–एक आधुनिक पाल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है। चार 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों सहित 5 निर्यातोन्मुखी अंडा प्रसंस्करण संयंत्र भी देश में निजी क्षेत्र में लगाये जा रहे हैं। इन संयंत्रों में निर्यात के लिए अंडा पाउडर और फ्रोजन अंडे की जर्दी का निर्माण किया जायेगा।

निर्यात

भारत से मांस और मांस उत्पादों का निर्यात किया जाता है। भैंस मांस का निर्यात अधिक मात्रा में होता है। भैंस मांस का देश में अधिक्य है क्योंकि समाज के कुछ ही वर्ग इसका सेवन करते हैं। मध्यपूर्व, मलेशिया, फिलीपीन्स और कुछ अफ्रीकी देशों में भैंस मांस की काफी मांग है। भेड़ और बकरी के मांस की स्थानीय मांग को देखते हुए इस तरह के मांस का निर्यात सीमित मात्रा में होता है। पाल्ट्री उत्पादों का निर्यात यद्यपि महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं होता किंतु इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कुल मिलाकर मांस और मांस उत्पादों का निर्यात संतुलित रूप से बढ़ रहा है। गत तीन वर्षों में किया गया मांस और मांस उत्पादों का निर्यात नीचे दर्शाया गया है :–

मात्रा टन में
मूल्य रूपये (करोड़ में)

मद	1990-91		1991-92		1992-93	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1. मटन और बकरी मांस	8682	31.23	9700	47	13700	78
2. भैंस मांस	62608	108.43	85300	183	82200	210.00
3. प्रसंस्कृत मांस	159	0.82	193	1.15	300	2.0
4. जानवरों की केसिंग	-	7.19	-	6.90	-	9.0
5. पाल्ट्री उत्पाद	-	2.28	-	10.15	-	15.00
योग		**149.95**		**248.20**		**314.00**

योजना स्कीम के अन्तर्गत सहायता

मंत्रालय ने विभिन्न मांस विकास कार्यक्रमों को वर्ष 1990-91 और 1991-92 में स्वास्थ्यकर मांस और मांस उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए सहायता दी। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मध्यप्रदेश और पंजाब के राज्य उपक्रमों को पाल्ट्री, सुअर मांस, भेड व बकरी तथा भैंस मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गयी थी। मांस और पाल्ट्री उत्पादों को रखने के लिए खुदरा बिक्री की दुकानों में गहरे फ्रीजरों की स्थापना के लिए आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर को कुछ सहायता अनुदान भी दिया गया था। स्वास्थ्यकर मांस और मांस उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कारीगरों और प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के वास्ते राज्य सरकार के संस्थानों और उपक्रमों को भी सहायता दी गयी थी। इन संस्थानों

Pork Processing :

In addition to the seven bacon factories set up in Fourth Five Year Plan, three pork processing plants are being set up in Guwahati, (Assam), Aizwal, (Mizoram), Dimapur, (Nagaland). A bacon factory has also been converted into meat complex and producing mutton and chicken products in addition to the pork products.

Poultry processing :

There are number of small poultry dressing plants in the country. These plants are producing dressed chickens. In addition to these plants, there are five modern integrated poultry processing plants producing dressed chicken, chicken cut parts and other chicken products. A modern poultry processing plant is under establishment each in Andhra Pradesh, Assam, Madhya Pradesh and Mizoram in public sector with the assistance of this Ministry. The five export oriented egg processing plants including four 100% EOUs are also under establishment in the country in private sector. These plants will manufacture egg powder and frozen egg-yolk for export.

Exports :

India is exporting meat and meat products. The major portion of exports is buffalo meat. Buffalo meat is surplus in the country, as only few communities consume this meat. There is a good demand of buffalo meat in the middle-east, Malasiya, Phillipines and some of the African countries. Considering the local demand of sheep and goat meat, export of such meat is limited. The export of poultry products though not very significant but showing an emerging trend. In total, the export of meat and meat products is increasing steadily. Export of meat and meat products in the last three years is indicated below :-

ITEM	1990-91		1991-92		1992-93	
	Qty.	Value	Qty.	Value	Qty.	Value
1. Mutten & Goat Meat	8682	31.23	9700	47	13700	78.00
2. Buffalo Meat	62608	108.43	85300	183	82200	210.00
3. Processed Meat	159	0.82	193	1.15	300	2.0
4. Animal Casings	- -	7.19	- -	6.90	- -	9.0
5. Poultry Products	- -	2.28	- -	10.15	- -	15.0
TOTAL		149.95		248.20		314.00

ने 1990-91 और 1991-92 में करीब 170 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया। पश्चिमी यूरोप और जापान के लिए एक बाजार सर्वेक्षण किया गया और निर्यात के लिए पालतू जानवरों के खाद्य उद्योग के विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गयी।

इसके बाद 1992-93 में पाल्ट्री, सुअर, भेड़ व बकरी एवं भैंस मांस प्रसंस्करण के विकास के लिए पंजाब, कर्नाटक, मिजोरम और नागालैंड के राज्य उपक्रमों और सहकारिताओं को सहायता दी गयी। ये स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश के राज्य उपक्रमों, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान--मैसूर और बम्बई पशु चिकित्सा कालेज, बम्बई को मांस और मांस उत्पादों के स्वास्थ्यकर उत्पादन और प्रसंस्करण के संबंध में कारीगरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए भी सहायता दी गयी थी। इन उपक्रमों और संस्थानों ने 1992-93 में 100 से अधिक ऑपरेटरों और प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्य उपक्रमों को गहरे फ्रीजरों की स्थापना के लिए भी सहायता अनुदान दिया गया। मंत्रालय ने तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने के लिए कर्नाटक, असम, नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहकारिताओं और राज्य उपक्रमों को भी सहायता प्रदान की। वाणिज्यिक उत्पादन, प्रसंस्करण और स्वास्थ्यकर मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए उपयोगी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए भी सहायता दी गयी।

Assistance under Plan Scheme :

The ministry provided the assistance to various development meat programmes for processing of hygienic meat and meat products in the year 1990-91 and 1991-92. The assistance was given to the State Undertakings of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Madhya Pradesh, Punjab for establishment of poultry, pork, sheep and goat and buffalo meat processing plants. Some grant-in-aid was also provided to Andhra Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Assam, and Manipur for setting up of deep freezers in retail outlets to store meat and poultry products. The assistance was also made available to the institutes and undertaking of State Govt. for training of the artisans and managers for processing of hugeinic meat and meat products. These institutes have trained about 170 candidates in 1990-91 and 1991-92. A market survey for western Europe and Japan was conducted and a report was prepared for the development of Pet food industry for export.

Subsequently, in 1992-93 assistance was provided for the development of poultry, pork and sheep and goat and buffalo meat processing to the State Undertakings and Cooperatives in Punjab, Karnataka, Mizoram and Nagaland. These schemes are under implementation. The assistance was also given for training the artisans and managers in hygienic production and processing of meat and meat products to the state undetakings of Assam, Uttar Pradesh, Manipur, Andhra Pradesh, Central Food Technological Research Institute - Mysore, Bombay Veterinary College - Bombay. The Ministry also provided assistance to cooperative and State undertakings of Karnataka, Assam, Nagaland, Mizoram, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh for preparation of techno-economic feasibility reports. The assistance was also provided for research and development programmes useful for commercial production processing and export of hygeinic meat and meat products.

अध्याय - 8

गहन समुद्री मात्स्यिकी

मार्च 1991 में घोषित नई गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति 92-93 के दौरान पूर्णतः प्रभावकारी हो गयी। संयुक्त उद्यम, परीक्षण मात्स्यिकी और पट्टेदारी के अन्तर्गत बहुत से जलयानों को स्वीकृति प्रदान की गयी और 20 जलयानों ने कार्य करना आरंभ कर दिया। गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति लागू होने के बाद संयुक्त उद्यम पट्टेदारी, परीक्षण मात्स्यिकी और जलयान प्राप्त करने के लिए 46 आवेदन इस मंत्रालय में प्राप्त हुए। इनमें से 24 प्रस्ताव संयुक्त उद्यम के लिए, 12 प्रस्ताव पट्टेदारी के लिए , 8 प्रस्ताव परीक्षण मात्स्यिकी के लिए और 2 प्रस्ताव आयात/देशी निर्माण के माध्यम से गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए हैं। उपर्युक्त 36 प्रस्तावों में से मंत्रालय द्वारा संयुक्त उद्यम के 22 प्रस्तावों, पट्टेदारी के 11 प्रस्तावों, परीक्षण मात्स्यिकी के 8 प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी गयी हैं। उक्त तीन स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत मामलों में निहित जलयानों की कुल सं० 168 है। मत्स्यन जलयान पर मछली पकड़ने, उसे प्रसंस्कृत करने और पैकेजिंग के लिए फैक्टरी जलयानों की शुरूआत करना नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति की उपलब्धियों में से एक है। तीन कंपनियों ने रूस के जलयानों से 6-6 महीनों की अवधि के लिए परीक्षण के तौर पर मत्स्यन कार्य किया। जलयानों के विवरण सहित उन कंपनियों के नाम जो अब गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चला रहे हैं /जिन्होंने संयुक्त उद्यम/परीक्षण मत्स्यन के अन्तर्गत प्रचालन पूरा कर लिया है, नीचे दिए गये हैं :

		जलयानों की संख्या/स्रोत	किस्म
(क)	संयुक्त उद्यम		
1.	इंडामर सी फूड्स लि०, नई दिल्ली	3/थाईलैंड	स्टर्न ट्रालर्स
2.	बाय-डे (आई) फिसरीज	1/कोरिया	–वही–
3.	लियो सुइजिंड फिसरीज नई दिल्ली	1/उत्तरी कोरिया	–वही–
4.	ओरियन्टल हाई सी फिसरीज, विशाखापटटनम	1/जापान	–वही–
5.	ग्रीनवेव मैरीन हारवेस्ट लि०, हैदराबाद	1/रूस	–वही–
6.	सर्व कान्सुलेट मैरीन प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली	5/रूस	–वही–
7.	फिशिंग फॉल्कन लि०, हैदराबाद	2/दक्षिणी कोरिया	टूना लांग लाइनर
8.	फारचून ओसियनिक प्रोडक्ट्स	2/एस्टोनियन	स्टर्न ट्रालर्स
9.	इंचता फिसरीज (पी) लि०, मद्रास	4/चीन	–वही–

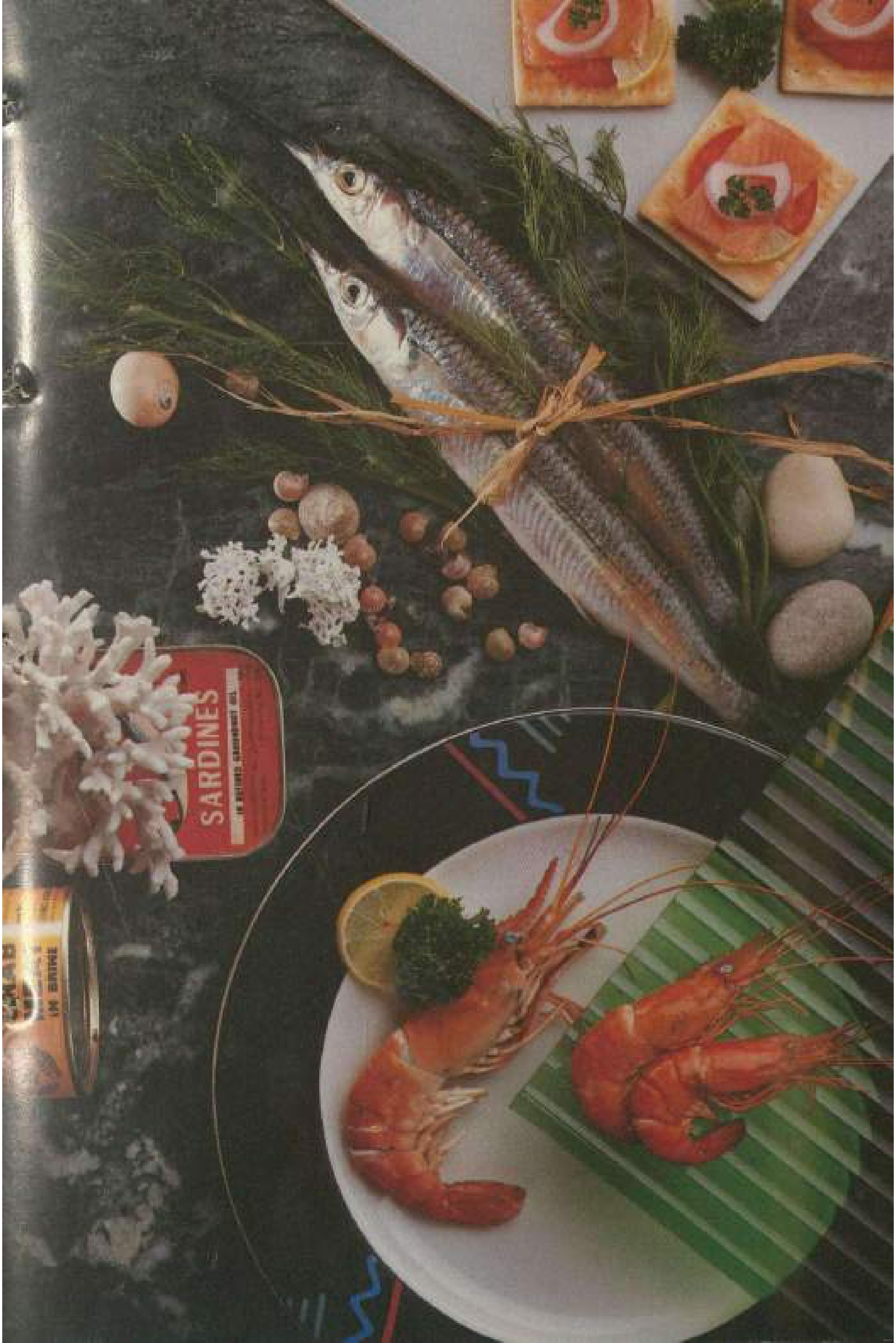
SARDINES
IN BRINE

समुद्री उत्पाद का उत्पादन

Production of Marine Products

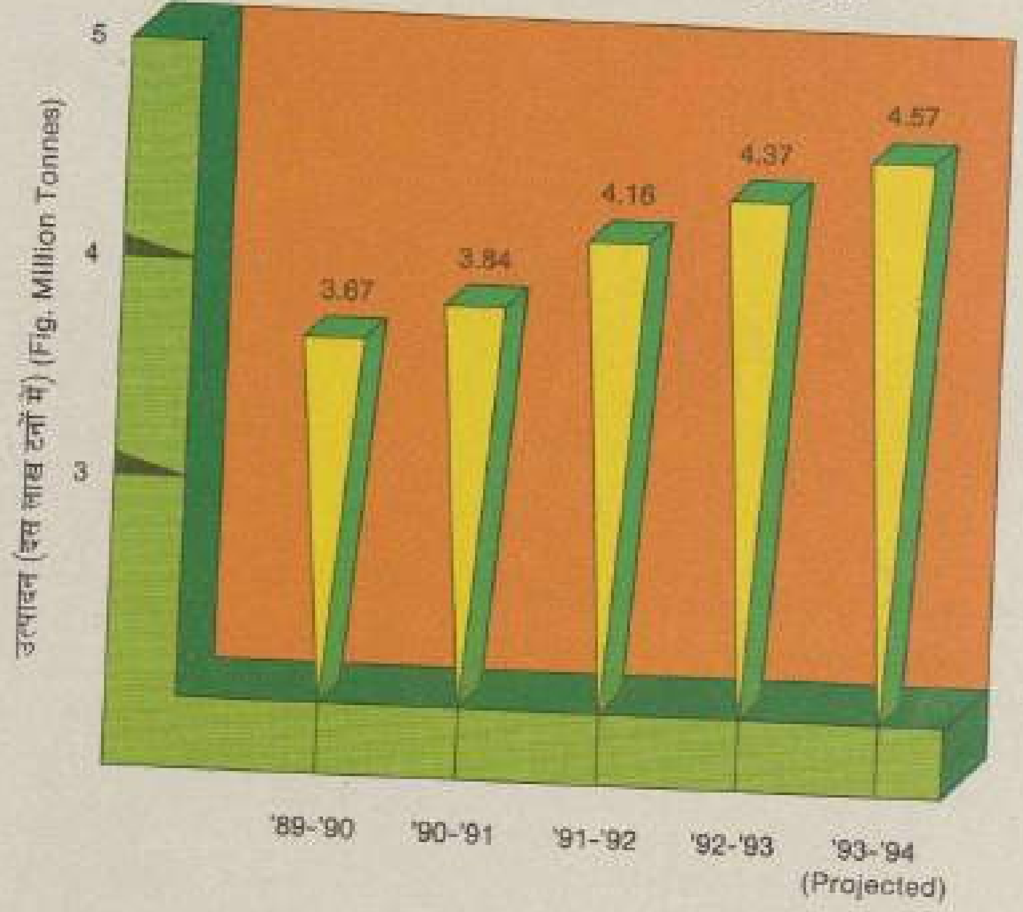

Chapter VIII

DEEP SEA FISHING

New deep sea fishing policy announced in March,1991 became fully effective during the year 1992-93. A number of vessels under joint Ventures, Test Fishing and Leasing were permitted and operation of 27 vessels was started. Since the inception of new policy, 46 applications for joint ventures, leasing, test fishing were received in the Ministry. These consist of 20 proposals for Jt. Venture, 8 for test fishing, 13 for leasing test fishing and 2 proposals for acquisition of deep sea fishing vessels through import/indigenous construction. Out of the above 46 proposals, permission has already been accorded by the Ministry to 20 joint venture proposals, 13 for leasing and 8 proposals for test fishing. The total number of vessels involved in the cases cleared under the above 3 schemes is 174. One of the achivements of the new deep sea fishing policy is the introduction of factoury vessels for harvesting, processing and packing on board the fishing vessels. 3 companies have conducted test fishing by operation of vessels from Russia and Portugal for a period of 6 months each. The names of the companies who are now operationg deep sea fishing vessels/completed operation under joint ventures/test fishing with the particulars of the vessels are given below:

	No of vessels/ source	Type
(a) JOINT VENTURES :		
1. Indamar Sea Foods Ltd. New Delhi	3/Thailand	Stern Trawlers
2. Boy-Dee (I) Fisheries	1/Korea	-do-
3. Leo Suizind Fisheries New Delhi	1/North Korea	-do-
4. Oriental High Sea Fisheries Visakhapatnam	1/Japan	-do-
5. Greenwave Marine Harvest Ltd. Hyderabad	1/Ukraine	-do-
6. Sarb Consulate Marine Products, N.Delhi	5/Russia	-do-
7. Fishing Falcon Ltd., Hyderabad	2/South Korea	Tuna Long Liner
8. Fortune Oceanic Products	2/Estonian	Stern Trawlers
9. Inchita Fisheres (P) Ltd. Madras	4/China	-do-

(ख)	**परीक्षण मत्स्यन**		
1.	सोविन सी फूड्स (पी) लि०, नई दिल्ली	1/रूस	–वही–
2.	सर्बकान्सुलेट मैरीन प्रोडक्टस (पी) लि०, नई दिल्ली	1/रूस	–वही–
3.	ए वी टी मिराडयूरो एंड कं०, मद्रास	1/पुर्तगाल	–वही–

पट्टेदारी के लिए 11 कंपनियों को मंजूरी दी गयी है, किंतु कोई भी परियोजना अभी शुरू नहीं हो पायी है। पट्टेदारी वाली कंपनियों द्वारा एक वर्ष के पट्टे के किराये के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं में निहित कुल विदेशी पूंजीनिवेश 24.78 करोड़ रू० है। मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों के विकास के लिए मछली प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने और खारे पानी की मछली/श्रिम्प की फार्मिंग स्थापित करने की सरकार की सुस्थापित नीति है। वर्ष 1993-94 के दौरान मछली प्रसंस्करण और खारे पानी की मछली/श्रिंप की फार्मिंग के लिए शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के 56 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इनके अलावा इस क्षेत्र में विदेशी इक्विटी भागीदारी वाली 18 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। इन परियोजनाओं में 458.23 करोड़ रू० का कुल विदेशी पूंजी निवेश होगा।

गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के लिए वित्तपोषण

गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए उदार शर्तों पर ऋण देकर गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के वित्त पोषण का कार्य शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी (एस० डी० एफ. सी०) द्वारा किया जाता था। शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी द्वारा 85 कंपनियों का 156 गहन समुद्री जलयान प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण किया गया था।

एस० डी० एफ० सी० को अप्रैल 1987 में समाप्त कर दिया गया और गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण का कार्य शिपिंग क्रेडिट एन्ड इनवेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया लि० (एस० सी० आई० सी० आई०) ने ले लिया। एस० सी० आई० सी० आई० ने 20 जलयान प्राप्त करने के लिए और 3 जलयानों की मरम्मत के लिए 62.58 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है। प्रचालन और प्रबन्ध संबंधी विभिन्न समस्याओं के कारण गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग में अधिकांश कंपनियों को घाटा हुआ है।

भारतीय मात्स्यिकी उद्योग संघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूर्ववर्ती एस० डी० एफ० सी० द्वारा सहायित मात्स्यिकी कंपनियों को पुनर्वास रियायतें प्रदान की जानी चाहिए। मंत्रालय के आदेश पर एस० सी० आई० सी० आई० द्वारा 4 अप्रैल 1991 को गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के लिए पुनर्वास स्कीमें घोषित की गयी जिसमें बहुत सी रियायतें जैसे दण्डब्याज की माफी, ऋण वापसी के लिए समय बढ़ाया जाना आदि शामिल हैं। इस पुनर्वास स्कीम को जून 1992 में और अधिक उदार बना दिया गया। 42 गहन समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों के पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिये गये हैं। तथापि गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग का गहन अध्ययन करने और सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। समिति पहले घोषित किए गए पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के सामने पेश आने वाली समस्या का अध्ययन करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ मछली पकड़ने का काम व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपचारी उपाय सुझाएगी।

(b) LEASING :

1. Simla Marine Products (P) Ltd., N.Delhi	1/USA	Stern Trawlers
2. Sri Kumaran Fishries (P) Ltd., Madras	3/Thailand	-do-

(c) TEST FISHING :

1. Sovin Sea Foods (P) Ltd. N. Delhi	1/Russia	-do-
2. Sarb Consultate Marine Products (P) Ltd. N.Delhi	1/Russia	-do-
3. AVT Miradouro & Co. Madras	1/Portugal	-do-

Although permission has been given to eleven companies for leasing, only two of them being implemented. It has been decided to waive the condition on furnishing of Bank Guarantee equivalent to one year lease rent by the leasing companies. The total foreign investment involverd in these projects is Rs.32.98 crores. Encouragement for fish processing to develop value added marine products and setting up of braekish water fish/ shrimp farming is the established policy of the Government. 56 proposals to set up 100% Export Orinted Units for fish processing and braekish water fish/shrimp farming have been cleared so far. Apart from these, 18 projects have also been cleared in this area involving foreign equity participation. The total foreign investment in these projects would be Rs.458.23 crores.

FINANCING FOR DEEP SEA FISHING VESSELS :

The task of finnancing of deep sea fishing vessels was performed by shipping Development fund Commitee (SDFC)by providing soft loansfor acquisition of deep sea fishing vessels. The SDFC had financed acquisition of 156 deep sea fishing vessels by 85 companies.

The SDFC was abolished in April 1987 and the Shipping Credit Investment Company of India Ltd. noe SCICI Ltd, took up the work of finnincing of acquisition of deep sea fishing vessels. SCICI Ltd. sanctioned an amount of rs. 62.58 crores for acquisition and repair for 20 and 3 vessels respectively. Due to various operational and managerial problems, most of the companies in deep sea fishing industry have incurred losses. The Governnment decided that the erstwhile SDFC assisted fishing companies should be provided rehabilitations reliefs after taking into account representations made by the

गहन समुद्री मात्स्यिकी के विकास हेतु स्कीम

गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के समन्वित विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की :–

1. कोल्ड चेन स्थापित करने की स्कीम

यह स्कीम, बड़े मछली उत्पादन केन्द्रों और विपणन केन्द्रों में मछली के परिरक्षण और आपूर्ति के लिए कोल्ड स्टोरेज, बर्फ संयंत्र और उष्मारोधी वाहनों जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 1.75 करोड़ रु० के बजट आबंटन में से वर्ष 1993-94 के दौरान 28.25 लाख रू० की राशि ए० एन० आई० डी० सी० और डी० सी० ओ० और ओ० एम० सी० ए० डी० को पहले ही रिलीज कर दी गयी है। अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

2. टूना और अन्य मछलियों के प्रसंस्करण के लिए स्कीम

भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन से प्रतिवर्ष 39 लाख टन मछली संसाधनों के दोहन की संभावना है। इसमें से 2.5 लाख टन टूना संसाधन होने का अनुमान है। इस संभावना को देखते हुए ताजी/फ्रोजन और डिब्बाबन्द टूना सुविधाएं तैयार करना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए देश में टूना और अन्य मछलियों के प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र/राज्य स्तरीय सहकारिताओं इत्यादि को परियोजना की पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत तक अनुदान देकर सहायता देने का प्रस्ताव है। यह सहायता टूना, श्रिम्प, लाबस्टर और ट्रेश फिश जैसी मछलियों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक/अत्याधुनिक मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु दी जायेगी। 1993-94 के दौरान इस स्कीम के अर्न्तगत सहायता देने के लिए 1.25 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गयी है।

3. तटरक्षक बल के लिए संचार सुविधाएं स्थापित करने हेतु धनराशि की व्यवस्था करके भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के प्रभावकारी कार्यान्वयन की स्कीम

चूंकि तट रक्षक बल को भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है अतः मात्स्यिकी जलयान के साथ जलयान से तट तक सीधी रेडियो संचार व्यवस्था लगाने हेतु धन–राशि उपलब्ध करके तट रक्षक बल की संचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके अलावा, इस सुविधा से तट रक्षक बल को समुद्र में मछली पकड़ रहे भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपेक्षित सहायता देने में भी मदद मिलेगी। इस स्कीम के लिए 1993-94 के दौरान 75 लाख रु० की राशि निर्धारित की गयी है और तट रक्षक बल के अनुरोध पर इस राशि को उन्हें देने की प्रक्रिया चल रही है।

4. गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान प्राप्त करने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की स्कीम

एस० सी० आई० सी० आई० द्वारा गहन समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों को जलयान प्राप्त करने के लिए रियायती दरों पर ऋण दिए जाने के लिए यह महसूस किया गया कि एस० सी० आई० सी० आई० को ब्याज के अन्तर की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाय। वर्ष 1993-94 के दौरान इस स्कीम के लिए एक करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गयी है। इसमें से एस० सी० आई० सी० आई० को 22.83 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गयी है।

5. गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण उद्यमों में 'मपेड़ा' के माध्यम से इक्विटी भागीदारी की स्कीम

गहन समुद्री मत्स्यिकी में पूंजी बहुत अधिक लगती है। ''मपेडा'' के पास पहले ही इस क्षेत्र में कम्पनियों की इक्विटी में भागीदारी की एक स्कीम है ताकि उद्यमियों का वित्तीय भार कम किया जा सके और उनके

Associations of Indian fishing Industry. On the begest of this Ministry, a rehabilitation scheme for deep sea fishing industry was announced on 4th April, 1991 by SCICI which includes various reliefs such as waiver of penalinterest, extended time for repayment of loan etc. This rehabilitations scheme was further liberalised in june, 1992. The rehabilitation proposals for 42 deep sea fishing companies have been approved. However, in order to have an indept study of deep sea fishing industry and with view to providing further assistance, a technical Committee was constituted. The committee will assess the implementation of rehabilitation package announced earlier, identify the problem being faced by the deep sea fishing industry and interalia suggest the commercial viable.

SCHEME FOR DEVELOPMENT OF DEEP SEA FISHING :

With a view to achieving an integrated development of the deep sea fishing sector, the Ministry implemented the following schemes relating to infrasture development:

(i) Scheme for setting up of Cold Chain :

This is a scheme for development of inferastructure facilities of cold storages, ice plants and insulated vehicles for presevation and supply of fish at major fish producing centers and marketing centers. Proposals for implementing this scheme have been received from Orrisa and Andaman & Nikobar islasnds. Out of a budget allocation of Rs. 1.75 crores, Rs.80.00 lakhs has already beeen released to ANIIDCO and OMCAD during the year 1993-94. Other proposals are under consideration.

(ii) Scheme for Tuna and other Fish Processing :

The potential of annual exploitable fishing resources frome the indian EEZ is 3.9 million tonnes. Out of this the tuna resources are estimated to be around 2.5 lakh tonnes. Considering the potential, it is felt necessary to build up facilities for handling tuna in fresh/ frozen and canned forms. Towards this end, it has been decided to establish tuna and other fish processing centres in the country. Under this scheme it is proposed to assist public sector/joint sector/ state level co-operatives etc. by proiding grant to the extent of 50% of the capital cost of the project. The assistance would be provided for setting up of modern/ sophisticated fish processing plants for processing quality fish like tuna, shrimp, lobster and also trash fish. During 1993-94 an amount of Rs. 1.25 crores has been earmarked for providing assistance under this scheme.

(iii) Scheme for effective implementation of MZI Act, 1981 by providing funds for installation of communication facilities to the Coast Guard :

Since Coast Guard are authorised to monitor fishing by foreign vessels under the MZI Act, 1981, a need was felt to strengthen their communication facilities by providing funds for them to set up ship to shore and vice-versa direct voice (radio) communication

कुशल प्रबन्ध में 'मेपड़ा' की अनुकूल भागीदारी की व्यवस्था हो सके। इस स्कीम के अंतर्गत धानराशी "मपेडा" को प्रदान की जाएगी जो इससे गहन समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों के साथ इक्विटी भागीदारी की व्यवस्था करेगा। वर्ष 1993-94 के दौरान इस स्कीम के लिए 0.75 लाख रू० की राशि निर्धारित की गयी है।

6. विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सहायता

यह महसूस किया गया है कि श्रिम्प संसाधनों का दोहन अधिकतम स्तर तक हो चुका है और मौजूदा श्रिम्प ट्रालरों में से कुछ में विविधीकृत मात्स्यिकी के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के अन्तर्गत धनराशि 'मेपड़ा' को प्रदान की जायेगी जो इसे जलयानों/ट्रालरों में सुधार की लगात पर सब्सिडी के रूप में सहायता देने पर खर्च करेगा। वर्ष 1993-94 के दौरान इस स्कीम के लिये एक करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गयी है।

7. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड

देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के समन्वित ढंग से समग्र विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी बोर्ड बनाना आवश्यक समझा गया। इस बोर्ड को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस बोर्ड के लिए 1993-94 के दौरान 50 लाख रूपये की राशि निर्धारित की गयी है। बोर्ड की स्थापना के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

बम्बई

2.1. वर्ष 1993-94 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोट के लिए सामग्री।

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय, बम्बई, भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। इस संस्थान का मुख्यालय बम्बई में स्थित है और इसके निम्नलिखित 7 प्रवचलन वेस हैं – पश्चिमी तट पर पोरबंदर, बम्बई, मरमुगांव और कोचीन में; पूर्वी तट पर मद्रास और विशाखापत्तनम में; और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में। संसाधन सर्वेक्षण और डाटा एकत्र करने के लिए महासागर में चलने वाले कुल 12 सर्वेक्षण जलयान तैनात किए जा रहे हैं। इसका सर्वेक्षण बेड़ा बॉटम ट्राल सर्वेक्षण, मिडवाटर/काल्यूमनर संसाधन सर्वेक्षण और ओसीयनि कप्लेजिक्स के लिए लांग लाइनिंग सर्वेक्षण करने में समर्थ है। वैज्ञानिक और रिसर्च फैलो प्रत्येक समुद्री यात्रा में नियमित रूप से भाग लेते हैं। महासागर विकास विभाग की फैलोशिप योजना के अन्तर्गत संस्थान से सम्बद्ध रिसर्च स्कालरमात्स्यिकी संसाधन आंकड़े एकत्र करने के अलावा जीव-विज्ञान व पर्यावरण संबंधी पैरोमीटर पर भी आंकड़े एकत्र करते हैं।

2.2. किए गए संसाधन सर्वेक्षण :

1993-94 के सर्वेक्षण में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैः

(i) पूर्वी समुद्री तट, पश्चिमी तट और अंडमान व निकोबार समुद्रों का 500 कि० मी० की गहराई तक डिमर्सल संसाधन सर्वेक्षण। (ii) सिफॉलोपॉड्स संसाधनों के लिए स्पीशीज विशिष्ट सर्वेक्षण, डिमर्सल संसाधनों की मॉनीटरिंग, स्किविड एंड कटल फिश ट्रॉल से ट्रायल फिशिंग और गीयर मापक अध्ययन। (iii) उत्तर पश्चिमी समुद्री तट नीचले पूर्वी समुद्री तट और अंडमान व निकोबार समुद्रों में महासागरीय ट्यूना/शार्क संसाधनों का सर्वेक्षण। (iv) पर्च संसाधनों इत्यादि के लिए रॉक कोड्स, स्किविड जिगिंग, बॉटमसेट लांग लाइनिंग के लिए ट्रैप फिशिंग के लिए आजमाइशी परियोजना। इसके साथ-साथ मॉडर्न फिशिंग प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और "सिफनेट" कैड्टस को सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अप्रैल – दिसम्बर, 93 के दौरान, सर्वेक्षण जलयान समुद्र में कुल 681 दिन तक रहे और 551 दिन तक

link with fishing vessels. Apart from this, the link will also help the Coast Guard in ensuring safety of the Indian owned vessels fishing at sea and in rendering any assistance required. During 1993-94, an amount of Rs.75 lakhs has been earmarked for this scheme and the request of the Coast Guard for release of this amount is under process.

(iv) Scheme for providing interest subsidy on loan for acquisition of deep sea fishing vessels :

In order to provide loans to deep sea fishing companies for acquisition of vessels at concessional rate of interest by SCICI, it was felt that an interest differential subsidy be provided to SCICI. During the year 1993-94, an amount of Rs.1 crore has been earmarked for this scheme. Out of this, an amount of Rs.22.83 lakhs has been sanctioned to SCICI for this purpose.

(v) Scheme for equity participation in Deep Sea Fishing and Processing Ventures (though MPEDA) :

Deep Sea Fishing is a highly capital intensive field. The MPEDA have already got a scheme to participate in the equity of companies in this field in order to reduce financial burden on the enterpreneurs and also to provide positive participation of MPEDA in their efficient management. The funds under this scheme would be released to MPEDA who will, in turn, provide there equity participation to deep sea fishing and processing ventures. An amount of Rs.75 lakhs has been earmarked for this Scheme during 193-94.

(vi) Assistance for diversified fishing :

It is felt that exploitation of shrimp resources has reached a saturation point and there is a need for some of the existing shrimp trawlers to be modified to do diversified fishing. The funds under this scheme would be released to MPEDA who will, in turn, provide assistance as subsidy on the cost of modification of the vessels/trawlers. An amount of Rs.1 crore has been earmarked for this scheme during 1993-94.

(vii) National Marine Fisheries Development Board (NMFDB) :

Considering the need to promote the overall development of the deep sea fishing sector in the country in a coordinated manner, it was felt necessary to form National Marine Fisheries Development Board. This Board is proposed to be set up as a registered society. An amount of Rs.50 lakhs has been earmarked for this Board during 1993-94. The procedural formalities for setting up of this Board are in progress .

FISHERY SURVEY OF INDIA, BOMBAY :

The FSI, Bombay is the nodal agency on the country responsible for survey and assessment of marine fishery resources of Indian EEZ. With its Hqs. at Bombay the Institute

वास्तविक मात्स्यिकी की वर्ष 1993-94 में प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

ब्यौरे	उपलब्धियां अप्रैल से दिसम्बर, 93	लक्ष्य जनवरी–मार्च, 94	उपलब्धियां 93-94 (अनुमानित)
क. जलयानों की संख्या	12	12	12
ख. सर्वेक्षण के दिन	681	480	1161
ग. जितने दिन सर्वेक्षण किया	551	380	931
घ. सर्वेक्षण किया :			
घंटे	2814	2340	5154
हुक	52730	60000	112730

नौवहन कर्मचारियों द्वारा विरोध किए जाने के कारण मई–जुलाई, 1993 के दौरान जलयान नहीं चलाए गए।

2.3 सूचना का प्रसारण :

वैज्ञानिक और रिसर्च फैलो जलयानों की सर्वेक्षण यात्राओं में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं और जीव–विज्ञान व समुद्र विज्ञान संबंधी पैरामीटरों सहित मात्स्यिकी संसाधनों संबंधी आंकड़े एकत्र करते हैं। इस प्रकार तैयार किए गए आंकड़े अंतिम–उपभोक्ताओं को विभागीय प्रकाशनों के रूप में उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:

(1) भारत में ट्यूना अनुसंधान पर कॉलोक्वियम की कार्रवाईयां।

(2) भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में चार्टर्ड मात्स्यिकी जलयानों का चलना – सं० 3 प्रकाशित हो गई है, सं० 4 (प्रेस में है) ।

(3) संसाधन सूचना सीरीज – एक अंक प्रकाशित किया गया, 2 प्रेस में हैं।

(4) मीना न्यूज – 3 अंक प्रकाशित किए गए, एक प्रेस में है।

(5) बुलेटिन सं० 25 – गुजरात समुद्री तट के समुद्री मात्स्यिकी संसाधन (प्रेस में है)।

2.4. कर्मचारियों को प्रशिक्षण

इस संस्थान ने "सिफनेट" कोचीन द्वारा भेजे गए कर्मचारियों को जलयान पर पाठ्यक्रमोपरान्त प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे वे मात्स्यिकी जलयानों में तैनाती संबंधी परीक्षा के लिए अपेक्षित समुद्र सेवा की जानकारी प्राप्त कर सके। वर्ष के दौरान दिए गए प्रशिक्षण के ब्यौरे निम्नलिखित हैं –

1. वर्ष के आरम्भ में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 13
2. वर्ष के दौरान नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 1
3. वर्ष के दौरान प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 2
4. वर्ष के अन्त में उपलब्ध प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 12

2.5. अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

2.5.1 ट्यूना संबंधी अध्ययनों में प्रगति

संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ट्यूना पर हुए अनुसंधान को सिचलीज में अक्तूबर, 1993 के दौरान हुई ट्यूना संबंधी आई० पी० टी० पी० विशेषज्ञ परामर्श के समक्ष 3 वैज्ञानिक पेपरों में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया।

2.5.2 गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए संस्थान को एम डी सी के रूप में पदनामित करना:

संस्थान को राष्ट्रीय महासागरीय सूचना पद्धति (एन० ओ० आई० एस०) के अन्तर्गत देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी के लिए मेरीन डाटा सेंटर (एम० डी० सी०) के रूप में मान्यता दी गई है।

has seven operational bases namely Porbandar, Bombay, Mormugoa and Cochin along the west coast; Madras and Visakhapatnam along the east coast; and Port Blair in the Andaman & Nicobar Islands. A total of 12 ocean going survey vessels are being deployed for resources survey and collection of data basing a few in each base. The survey fleet of the institute is capable of undertaking bottom trawl survey, midwater/columnar resources survey and long lining surveys for oceanic pelagics. Scientists and Research Fellow particiate regularly in each cruise. Research Scholars attached to the Institute under the Development of Ocean Development Fellowship scheme, collect data on biological and environmental parameters in addition to fishery resources data.

Resources survey undertaken :

The survey programme for 1993-94 envisages : -

(i) Demersal resources survey of east coast, west coast and Andaman & Nicobar seas upto 500m depth.

(ii) Species specific surveys for Cephalopods resources, monitoring of demersal resources, trial fishing with squid & cuttle fish trawl, and gear calibration studies.

(iii) Oceanic tuna/Shark resources survey along north-west coast, lower eat coast and A & N Seas.

(iv) Experimental project for trap fishing for rock-cods, squid jigging, bottom set long lining for perch resources etc. Transfer of modern fishing technologies and on-the-job training of CIFNET cadets are other components of the activities.

During April-December' 93, the survey vessels spent a total of 681 days at sea and conducted actual fishing on 551 days. The accomplishment of physical targets for the year 1993-94 is given below : -

Particulars	Achievement Apr. to Dec. 93	Target Jan. to Mar. 94	Achievement 93-94 (projected)
A. No. of vessels	12	12	12
B. Days out for survey	681	480	1161
C. Days surveyed	551	380	931
D. Survey efforts:			
Hours	2,814	2340	5154
Hooks	52,730	60,000	1,12,730

2.5.3 संस्थान में कम्प्यूटर शुरू करना:
मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर सैल को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है और बेस के कार्य भी कम्प्यूटरीकृत किए जायेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पुणे कम्प्यूटरीकरण परियोजना में संस्थान की सहायता कर रहा है।

2.6 स्टाफ की संख्या :
संस्थान में कर्मचारियों की स्वीकृत कुल संख्या 746 है जिसमें 69 वैज्ञानिक पद, 491 तकनीकी पद और 186 प्रशासनिक पद शामिल हैं।

2.7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण:
आरक्षण के मानदण्डों का पालन करते हुए, संस्थान द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और वर्ष के दौरान भरे गए पदों की संख्या नीचे दी गई है:

ब्यौरे	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
आरक्षित पदों की संख्या	9	4	13
भरे गए पदों की संख्या	3	1	4
भरे जाने वाले पदों की संख्या	6	3	9

रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

रोजगार/कर्मचारी चयन समिति को भेजे गए मांग पत्र	सात
संघ लोक सेवा आयोग से पत्राचार किया जा रहा है	दो

2.8. वित्तीय प्रगति :
वर्ष के दौरान संस्थान के बजट अनुदान और व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

लाख (रूपयों में)

ब्यौरे	योजना	गैर–योजना
बजट अनुदान	1,200.00	175.00
संशोधित बजट अनुमान	1,416.50	160.99
दिसम्बर, 93 तक किया गया वास्तवित व्यय	410.85	118.90
वर्ष 1993-94 के लिए प्रत्याशित व्यय	1,416.50	157.00

Due to protest action by floating staff the vessels did not operate during May-July, 1993.

Dissemination of Information :

Scientists and research fellow are regularly participating in the survey cruises of the vessels and collect data on fishery including biological and oceanographic parameters. The data thus generated are made available to the end-users in the form of departmental publications. The following publications were brought out during the year.

(i) Proceedings of the Colloquium on Tuna Research in India.

(ii) Chartered fishing vessels operations in the Indian EEZ- No.3 released; No.4 (in press).

(iii) Resources Information Series- 1 issue released; 2 in press.

(iv) Meena News -3 issues released, one in press.

(v) Bulletin no.25 : Marine fishery resources off Gujarat coast (in press)

Training of operatives :

The Institute imparted in-vessel post institutional training to candidates sponsored by CIFNET, Cochin enabling them to acquire requisite sea-service to appear for competency examination for manning fishing vessels. Details of the training imparted during the year are as follows:

1. No. of trainees at the beginning of year : 13

2. No. of trainees appointed during the year : 1

3. No. of trainees who completed training during the year : 2

4. No. of trainees available at the end of the year : 12

Other important achievements:

Advance in studies on tunas :

The recent advance in tuna research was summarised by the scientists of the institute in the form 3 scientific papers presented at IPTP Expert Consultation on Tuna held at Seychelles during October, 1993.

Institute designated as MDC for deep-sea fishery :

The institute has been recognised as one of the Marine Data Centre (MDC) for deep-sea fisheries in the country under the National Oceanic Information System (NOIS).

Introduction of computers in the institute :

The computer Cell at the Institute Hqs. proposed to be strengthened and the bases functions would also be computerised. National Informatics Centre, Pune is assisting the Institute in the computerisation project.

Staff Strength :

The total sanctioned staff strength in the institute is 746 which includes 69 scientific posts, 491 technical posts, and 186 Admn. posts.

Reservation of posts for SC/ST candidates :

Following the norms of reservations, the number of posts reserved by the institute for Schedule caste/Schedule Tribe categories and the number of posts filled during the year are given below:

Particulars	SC	ST	Total
No. of posts reserved	9	4	13
Number of posts filled up	3	1	4
Number of posts to be filled	6	3	9

Action in progress to fill up the vacant posts as below :

Requisition sent to Employment /Staff Selection Committee — Seven

Under correspondence with the UPSC — Two

Financial progress:

The details of the Budget grant and expenditure of the institute during the year are given below:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Plan	Non-Plan
Budget grant	1,200.00	175.00
Revised budget estimate	1,416.50	160.99
Actual expenditure upto Dec.'93	410.85	118.90
Anticipated expenditure for the year 1993-94	1,416.50	157.00

अध्याय - 9

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में मार्डन बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के नाम से वर्ष 1965 में हुई थी। कम्पनी की विविध गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने के लिए इसका मौजूदा नाम नवम्बर , 1982 में अपनाया गया था।

2. पूंजीगत संरचना

31.12.93 को कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15 करोड़ और प्रदत्त पूंजी (बकाया आबंटन सहित) 8.98 करोड़ रूपये थी। 31.12.1992 को लगभग 4.96 करोड़ रूपये की तुलना में कम्पनी द्वारा भारत सरकार को अदा की जाने वाली ऋणों की बकाया धनराशि 31.12.92 को 4.16 करोड़ रूपये थी।

3. भौतिक कार्यनिष्पादन

ब्रेड : कम्पनी ने सफेद सैन्डविच ब्रेड, मीठी डबल रोटी, मिल्क ब्रेड, फ्रूटी, ब्राउन डबल रोटी, और पोषण कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रकार की डबल रोटी का उत्पादन और विपणन अपनी 13 ब्रेड निर्माता यूनिटों के माध्यम से जारी रखा। ये ब्रेड निर्माता यूनिटें अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास और रांची में स्थित हैं। अप्रैल 1993 से दिसंबर 1993 की अवधि के दौरान डबल रोटी की कुल बिक्री 13.00 करोड़ मानक डबल रोटी थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह मात्रा 15.32 करोड़ मानक रोटी थी। अप्रैल 1993 से दिसंबर 93 के दौरान वाणिज्यिक बिक्री 11.90 करोड़ मानक डबल रोटी थी जो पिछले वर्ष इसी अवधि मे 12.98 करोड़ मानक डबल रोटी थी । इसी अवधि में पोषाहार के अन्तर्गत बिक्री 1.10 करोड़ मानक डबल रोटी थी जो पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 2.34 करोड़ मानक डबल रोटी थी।

3.1 ब्रेड की बिक्री को बढ़ाने और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कम्पनी के ब्रेड निर्माता संयंत्र स्थापित नहीं हैं ब्रेड उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने विभिन्न प्राइवेट ब्रेड निर्माताओं के साथ विशेष करार करने का निर्णय लिया है। जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पौष्टिक ब्रेड उपलब्ध करायी जाएगी और रायल्टी के रूप में इससे आमदनी भी होगी। अप्रैल से दिसंबर, 1993 के दौरान विशेष करार वाली यूनिटों ने 235 लाख मानक डबल रोटियां बेची और कम्पनी ने लगभग 15 लाख रूपये (अनुमानित) की रायल्टी प्राप्त की।

फल रस बॉटलिंग संयंत्र दिल्ली: संयंत्र ने चलती–फिरती गाड़ियों और बिक्री मशीनों के माध्यम से बोतलों में रसिका फल–रस और पेय का उत्पादन और विपणन जारी रखा। अप्रैल 1993 से दिसंबर 1993 के दौरान 0.99 लाख क्रेट (प्रत्येक में 200 मि० ली० की 24 बोतलें रसिका की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह बिक्री 1.46 लाख क्रेटों की थी। कम्पनी इस यूनिट के कार्यों का उपयुक्त विविधीकरण/पुनर्संरचना इत्यादि द्वारा इसे अधिक अर्थक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

पेय यूनिट-वातिय पेय: चालू वर्ष अप्रैल–दिसम्बर, 1992 के दौरान 164 यूनिट की बिक्री की तुलना में सान्द्रण की कोई बिक्री नहीं हुई।

तैल संयंत्र, उज्जैन : अप्रैल 1993 से दिसम्बर 1993 की अवधि के दौरान ठेके पर कार्य न मिलने के कारण विलायक संयंत्र और शोधन प्रभाग में कोई कार्य नहीं किया गया। इसके घाटे को कम करने के लिए कंपनी ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्कीम लागू की है।

एक्सट्रूडर खाद्य संयंत्र जयपुर : यूनिट ने राजस्थान सरकार के विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए अप्रैल 1993 से दिसम्बर 1993 के दौरान 1009.8 मी० टन एक्सट्रूडर खाद्य की आपूर्ति की जबकि पिछले वर्ष

Chapter IX

PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

MODERN FOOD INDUSTRIES (I) LIMITED :

Modern Food Industries (I) Limited was incorporated in 1965 under the name of Modern Bakeries (I) Limited. The present name was adopted in November,1982 in order to reflects diversified activities.

CAPITAL STRUCTURE :

The authorised share capital of the Company is Rs.15.00 crores and the paid up capital (including pending allotment) is Rs. 8.98 crores as on 31.12.1993. The outstanding loans repayable by the Company to the Govt. of India stood at about Rs. 4.16 crores as on 31.12.1993 against Rs. 4.96 crores on 31.12.1992.

PHYSICAL PERFORMANCE :

BREAD : The Company continued to produce and market different varieties of bread, mild bread like white sandwich bread, sweet bread, fruity, brown bread and special bread for nutritional programme at its 13 bread manufacturing units located at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madras and Ranchi. The total sale of bread during the period April, 1993 to December,1993 was 13.00 crores SL as compared to 15.32 crores SL during the period corresponding period of last year. The commercial sales during April,93 to December,1993 were 11.90 cores SL as against 12.98 crores during the previous year, while the nutritional sales were 1.10 crores SL as against 2.34 crores SL for the corresponding period of the previous year.

To further increase the sales of bread and to ensure its availability in the far-flung areas where the Company does not have its bread plants, the Company is entering into Franchise Agreements with various private manufacturers of bread whereby nutritious breads will be made available to the consumers in far off places. This also brings in income in the shape of royalty. During April to Dec., 1993, the Franchised Units sold 235 lakhs SL and Company earned Royalty amounting to Rs. 15.00 lakhs (Approximately.)

FRUIT JUICE BOTTLING PLANT, DELHI :

The Plant continues to produce and market Rasika, Fruit Juices and drinks in bottles and through mobile vans and vending machines. The sale of Rasika during April,1993 to

इसी अवधि के दौरान 950 मी० टन की आपूर्ति की।

रोलर आटा मिल, फरीदाबादः अप्रैल 1993 से दिसम्बर 1993 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पांडिचेरी को उनके विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए यूनिट ने 6938.13 मी० टन उर्जादायक खाद्य की आपूर्ति की जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान बिहार राज्य को 6057.5 मी० टन की आपूर्ति की गयी थी।

फल प्रसंस्करण यूनिट, भागलपुर

अप्रैल से दिसम्बर, 1993 के दौरान इस यूनिट ने विभिन्न राज्यों को उनके विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 6,435.83 मी० टन उर्जादायक खाद्य की आपूर्ति की जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 6082.35 मी० टन की आपूर्ति की गयी थी। यह बिहार सरकार की मांग पूरी करता है। कम्पनी ने भागलपुर में एक उर्जादायक खाद्य संयत्र की स्थापना की है और उसमें उत्पादन आरंभ हो गया है।

अनुसंधान और विकास

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किए गए

अनुसंधान और विकास गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित थे जिनमें से नये उत्पादों के विकास और मानकीकरण, उत्पादन के मानकों का निर्धारण, उत्पाद पैदावार आदि से संबद्ध कार्यों को विशेष महत्व दिया गया। इस कार्य में फ्रैन्चाइज्ड बेकरी यूनिटों के लिए विविध प्रकार के बनों का विकास, ब्रेडों की विशेष किस्में, विविध प्रकार के केक, वाणिज्यिक रस्क, "फ्रूटी" प्रीमिक्स एवं लागत–प्रभावी एक्सट्रूडिड खाद्य फार्मूलेशन शामिल हैं। उर्जादायक खाद्य के उत्पादन के लिए मानक निर्धारित किए गये और विभिन्न किस्म की ब्रेड के लिए मानक उत्पाद पैदावार संशोधित करने के वास्ते संयंत्र स्तर पर अध्ययन किए गये। विभिन्न प्रकार की ब्रेड की पैकिंग के लिए अभिप्रेत पोलीपाउचों से संबंधित मानकीकरण कार्य को पूरा किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मोटे अनाजों के प्रभावकारी उपयोग के लिए उत्पादों के विकास पर कार्य आरंभ किया गया।

2. उपर्युक्त अनुसंधान और विकास कार्य से प्राप्त लाभ :

विविध प्रकार के बनों, रस्कों और विविध केकों जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास का लक्ष्य कंपनी के मिश्रित उत्पादों का विविधीकरण करना और कंपनी की लाभ प्रदता में वृद्धि करना था। अनुसंधान और विकास प्रयासों के फलस्वरूप विकसित विविध केकों को बंगलौर और मद्रास स्थित कंपनी के यूनिटों ने वाणिज्यिक बाजार में बेचना आरंभ कर दिया है। "फ्रूटी" प्रीमिक्स के विकास से लोगों के लिए फ्रूटी की उपलब्धता में सुधार हुआ है।

3. भावी कार्य योजना

अनुसंधान और विकास केंद्र की भावी कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

– वाणिज्यिक दोहन के लिए एक्सट्रूडेड खाद्य उत्पादों का विकास,
– संयंत्र स्तर पर अलग–अलग किस्म का आटा भेजने के साथ–साथ ब्रेड सुधार प्रणाली का मूल्यांकन,
– उपादानों और स्वादों में उपयुक्त संशोधन करके उर्जादायक खाद्य के लिए वैकल्पिक फार्मूलेशनों का विकास और
– "मोटे अनाजों के प्रभावकारी उपयोग के लिए उत्पादों का विकास" नामक परियोजना पर कार्य के एक हिस्से के रूप में मोटे अनाजों का उपयोग करते हुए एक्सट्रूडेड स्नैक खाद्यों, उर्जादायक खाद्य और माल्टयुक्त पेयों जैसे उत्पादों का विकास।

December, 1993 was 0.99 lakhs crates (of 24 bottles of 200 ml. each) against 1.46 lakhs, crates during the corresponding period of last year. The Company is trying to make the units operations more viable by suitable diversification, restructuring etc.

BEVERAGE UNITS-AERATED BEVERAGES :

During the current year there was no sale of concentrate as compared to a sale of 164 units during April-December, 1992.

OIL PLANT, UJJAIN :

During the period April, 1993 to December, 1993 there was no operation in the Solvent Extraction Plant as well as in the Refinery Section due to non-availability of job orders. The Company has introduced a Voluntary Retirement Scheme to reduce its losses.

EXTRUDER FOOD PLANT, JAIPUR :

The unit supplied 1009.8 MT of Extruder Food during April 1993 to December 1993 as compared to supply of 950 MT during the corresponding period of last year to the various feeding programmes of the Govt. of Rajasthan.

ROLLER FLOUR MILL, FARIDABAD :

During the period April-December, 1993 the unit supplied 6938.13 MT of Energy Food to the State of U.P., Bihar and Pondicherry for their various nutritional Programmes as compared to 6057.5 MT during the corresponding period of last year to Bihar State.

FRUIT PROCESSING UNIT, BHAGALPUR :

During the period April-December,1993 the Unit has supplied 6435.83 MT of Energy food to various states under their Social Welfare Programmes as compared to 6082.35 MT supplied during the corresponding period of last year. This meets the demand of the State Govt. of Bihar. The Company has set up an Energy Food Plant at Bhagalpur and production at this plant has started.

RESEARCH AND DEVELOPMENT :

1. SPECIFIC AREAS IN WHICH RESEARCH AND DEVELOPMENT WAS CARRIED OUT BY THE COMPANY :

Research & Development activities encompassed several areas and of these, special importance was attached to development of new products and work pertaining to Standardisation, fixation of production norms, product yield etc. The work included development of variety buns for franchised bakery units, special varieties of breads, variety cakes, commercial rusks, 'Fruity' premix and cost-effective extruded food formulations.

भावी परियोजनाएं

क. अनानास रस सान्द्रण संयंत्र, सिल्वर : अव्यवहार्य होने के कारण इस संयंत्र का शीघ्र निपटान किया जायेगा।

ख. दिल्ली मे छठी ब्रेड लाइन 14.8.1993 को चालू कर दी गयी है।

ग. **पोषाहार संयंत्र उदयपुर :** कम्पनी द्वारा राजस्थान सरकार के लिए पोषाहार के निर्माण और आपूर्ति के लिए ही उदयपुर में एक पौषाहार संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के लिए जगह प्राप्त कर ली गयी है और तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा निदेशक मण्डल द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया है। किन्तु राजस्थान सरकार ने पोषाहार के फार्मूले को बदल दिया है और इसे अभी आपूर्ति/खरीद मूल्य इत्यादि के बारे में कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हैं। कम्पनी इस मामले में आवश्यक कार्यवाई करने के लिए राजस्थान सरकार से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है।

घ. विचाराधीन परियोजनाः

कम्पनी अधिक पोषक खाद्य पदार्थ पोषाहार/गेहूं पर आधारित उर्जादायक खाद्य और बीयर निर्माण आदि जैसे अन्य क्षेत्रों मे विविधीकरण पर विचार कर रही है।

विन्तिय निष्पादन

1. कारोबार

अप्रैल 1993 से दिसंबर 1993 के दौरान कम्पनी ने 5262.20 लाख रूपये का कारोबार किया जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 6051 लाख रूपये का था। 1992-93 में यह 8225.29 लाख रूपये और 1991-92 में 6550-69 लाख रूपये था। वर्ष 1993-94 के लिए यह अनुमान है कि कम्पनी का कारोबार 8120.00 लाख रूपये का होगा।

2. लाभ/हानिः

कंपनी ने 1991-92 में 3.02 करोड़ रू० की हानि की तुलना में 1992-93 के दौरान 1.42 करोड़ रू० का लाभ कमाया। अप्रैल, 1993 से दिसंबर ,1993 की अवधि के लिए कंपनी को 0.63 करोड़ रू० (अनुमानित) का घाटा हुआ है। परन्तु यह आशा है कि वर्ष के अन्त तक कंपनी को कुछ लाभ होगा।

3. स्टाफ संख्या

31.12.93 को विद्यमान स्टाफ संख्या 2475 थी और स्वीकृत स्टाफ संख्या 2964 है। इस तारीख को इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्रमशः 506, 69 और 57 थी।

Norms with regard to production of energy food were fixed and plant scale studies were conducted in order to revise the standard product yield for various bread varieties. Standardisation work relating to polypouches meant for packaging of variety breads was completed. Work was initiated on 'Development of Products for effective utilisation of millets'-a project sponsored by the Ministry of Food Processing Industries.

BENEFITS DERIVED AS A RESULT OF THE ABOVE R&D WORK :

Development of variety buns, rusks and value added products like variety cakes is aimed at diversifying the Company's product-mix and enhancing the profitability of the Company. Variety cakes developed as a result of R & D efforts have been introduced in the commercial market by the Company's units located at Bangalore and Madras. Development of "Fruity" premix has improved the reach of 'Fruity' among the masses.

FUTURE PLAN OF ACTION :

R & D Centre's future plan of action includes :

- development of extruded food products for commercial exploitation.
- evaluation of bread improver system with different flour consignments at the plant scale level.
- development of alternative formulations for energy food with suitable modifications in ingredients and flavours, and
- development of products such as Extruded snack foods, Energy food and Malted beverages using millets, as a part of work on the project 'Development of products for effective utilisation of millets'.

FURTHER PROJECTS :

a) Pineapple Juice Concentrate Plant, Silchar : Due to non-feasibility, this plant is proposed to be disposed off.

b) The 6th Bread line at Delhi has been commissioned on 14.8.1993.

c) Poshahar Plant at Udaipur : The Company proposes to set up a Poshahar Plant at Udaipur as a captive Unit for manufacture and supply of Poshahar to the State Govt. of Rajasthan. The site for the project has been acquired and Techno-Economic Feasibility Report has been prepared and approved by the Board of Directors. However, the State Govt. of Rajasthan has changed the formulation of Poshahar and is also yet to sign a Memorandum of Understanding with the Company in respect of supply/purchase price etc. The Company is awaiting the clearance of the Govt. of Rajasthan for taking further necessary action in the matter.

d) <u>Project under consideration</u> : The Company is examining diversification into other areas such as manufacture of high nutrition foods, poshahar/wheat based energy foods and beer manufacture etc.

FINANCIAL PERFORMANCE :

1. TURNOVER :

The Company's turnover during April, 1993 to December, 1993 is Rs 5262.20 lakhs as compared to Rs. 6051 lakhs in the corresponding period of last year. In 1992-93 turn over was Rs 8225.29 lakhs and Rs. 6550.69 lakhs for 1991-92. For the year 1993-94 it is estimated that the turnover of the Company would be Rs. 8120.00 lakhs.

2. PROFIT/LOSS :

The Company earned a profit of Rs. 1.42 crores during 1992-93 as against loss of Rs. 3.02 crores in 1991-92. For the period April. 1993 to December, 1993, the Company has incurred a loss of Rs. 0.63 crore (approx). However, it is expected that Company would end up in some marginal profit at the end of the year.

3. STAFF STRENGTH :

The Staff Strength in position as on 31.12.1993 was 2475 against sanctioned strength of 2964. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the date was 506 SC and 69 ST respectively and Ex-servicemen 57.

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

क्रम सं०	विवरण	अप्रैल, 93 से दिसंबर 93	अप्रैल 92 से दिसंबर 92	अनुमानित (1993-94)	वास्तवित (1992-93)
1.	ब्रेड की बिक्री (मानक डबल रोटियां करोड़ों में)	11.90	12.98	17.75	17.40
	वाणिज्यिक पोषाहार	1.10	2.34	1.60	3.03
	योग	13.00	15.32	18.75	20.43
2.	फल रस बॉटलिंग संयंत्र : बिक्री (लाख क्रेटों में, एक क्रेट-200 मि०ली० की 24 बोतलें)	0.99	1.46	1.100	1.36
3.	पेय यूनिट बिक्री वातित पेय (प्रत्येक 10 कि० ग्राम की यूनिट में)	शून्य	164	शून्य	164
4.	तेल संयंत्र उज्जैन				
	(क) विलायक संयंत्र (प्रसंस्कृत कच्चा माल टनों में)	वही	शून्य	वही	वही
	(ख) रिफायनरी (प्रसंस्कृत कच्चा तेल टनों में)	वही	वही	वही	वही
5.	एक्सट्रूडिड खाद्य संयंत्र, जयपुर (बिक्री टनों में)	1009.80	950.00	1500.00	1319.66
6.	रोलर आटा मिल, फरीदाबाद				
	(क) आटा मैदा इत्यादि की टनों में बिक्री	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) भागलपुर/कानपुर को भेजा गया ऊर्जादायक खाद्य मी० टनों में	6938.13	6057.50	11000.00	7723.50
7.	भागलपुर/कानपुर में ऊर्जादायक खाद्य की (मी० टनों में) बिक्री	6435.83	6082.35	11000.00	7626.00

MODERN FOOD INDUSTRIES (INDIA) LIMITED :

NO. PARTICULARS	APRIL '93 DEC. '93	APRIL '92 DEC. '92	EXPECTED (1993-94)	ACTUALS (1992-93)
1. BREAD SALES (in crores S.L.)				
Commercial	11.90	12.98	17.15	17.40
Nutritional	1.10	2.34	1.60	3.03
Total	13.00	15.32	18.75	20.43
2. Fruit Juice Bottling Plant: Sales (in lakh crates Crate 24 Bottles of 200 ML each)	0.99	1.46	1.10	1.36
3. Beverage Unit : Sales Acrated Beverages (in unit of 10 kg each)	NIL	164	NIL	164
4. Oil Plant Ujjain				
a) Solvent Plant (Raw Material processed in tonnes)	NIL	NIL	NIL	NIL
b) Refinery : (Crude Oil Processed in tonnes)	NIL	NIL	NIL	NIL
5. Extruder Food Plant, Jaipur (sale in tonnes)	1009.80	950.00	1500.00	1319.66
6. Roller Flour Mill, Faridabad				
(a) Sales (in M.T.) of Maida, Atta etc.	NIL	NIL	NIL	NIL
(b) Despatch of Energy Food in M.T. to Bhagalpur/Kanpur	6938.13	6057.50	11000.00	7723.50
7. Sales (in M.T.) of Energy Food at Bhagalpur/Kanpur	6435.83	6082.35	11000.00	7626.00

उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक), गुवाहाटी

उत्तर पूर्वी कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक) की स्थापना मार्च 1982 में की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदा होने वाले फल और सब्जियों का विपणन और प्रसंस्करण कर उस क्षेत्र में बागावानी के विकास को बढ़ावा देना है।

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपये और प्रदत्त पूंजी 2.75 करोड़ रूपये हैं। 31.12.93 की स्थिति के अनुसार निगम की बकाया देयता 78 लाख रूपये थी।

निगम की पहली बड़ी परियोजना अर्थात त्रिपुरा राज्य के नलकटा में स्थापित अन्नानास रस सान्द्रण संयंत्र को जून 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र ने वर्ष 1993-94 के दौरान (दिसम्बर, 1993 तक) 15.62 मी० टन अनानास रस सान्द्रण तैयार किया जबकि इससे पहले वर्ष में 62.34 मी० टन सान्द्रण तैयार किया गया था। इसके अलावा निगम ने गूदा, स्लिज अदरक जैसे विविध कृषि उत्पादों और जैम, जूस तथा अचार जैसे विभिन्न फल उत्पादों का विपणन किया।

निगम का 1993-94 (दिसम्बर 93 तक) के दौरान कुल कारोबार पिछले वर्ष इसी अवधि में 23.12 लाख रूपये (अलेखा परीक्षित) की तुलना में 15.30 लाख रूपये है।

1993-94 के दौरान निगम को 137.00 लाख रूपये का घाटा होने का अनुमान है जबकि 1992-93 के दौरान 148.92 लाख रूपये (अलेखा परीक्षित) का घाटा हुआ था।

नलकटा संयंत्र के असंतोषजनक कार्य के लिए उत्तरदायी घटकों का अध्ययन करने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति ने यह पाया कि संयंत्र के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण यह है कि यूनिट द्वारा निवेश/उत्पादन के अनुपात के लिए परिकल्पित मानदण्ड प्राप्त नहीं किए जा सके। प्रचालन से पहले के खर्च में भी वृद्धि, समय अधिक लग जाने और स्थापित क्षमता के कम उपयोग के कारण हुई। इसके अलावा नेरामक को कोई बिक्री सब्सिडी नहीं दी जा रही थी जबकि इसकी परिकल्पना की गयी थी।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के अनुसरण में संयंत्र की गतिविधियों का विविधीकरण करके इसे समर्थ बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

31.12.93 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संख्या 73 थी जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 160 है। इस तारीख को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 6 और 12 थी।

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LTD. (NERAMAC) GUWAHATI

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation LTD. (NERAMAC) was set up in March, 1982 with the main objective of undertaking marketing and processing of fruits and vegetables grown in the North-Eastern Region, thereby, fostering development of horticulture in the Region.

The authorised share capital of the Company is Rs. 5 crores and the paid-up capital is Rs. 2.75 crores. As on 31.12.93, the outstanding liability of the Corporation was to the tune of Rs 78 lakhs.

The Corporation's first major project viz. Pineapple Juice Concentrate Plant set-up at Nalkata in the State of Tripura was commissioned in June,1988. The plant produced about 15.62 MTs of pineapple juice concentrate during the year 1993-94 (upto Dec., 1993) as compared to 62.34 MTs during the previous year. The Corporation marketed variuos agro products like pulp, slidge, ginger and various fruit products such as jam, juice and pickles.

The total turnover of the Corporation during 1993-94 (upto December, 1993) is Rs.15.30 lakhs as against Rs.23.12 lakhs (unaudited) during the corresponding period last year.

The operations of the Corporation during 1993-94 are anticipated to result in a loss of Rs. 137.00 lakhs as against a loss of Rs. 148.92 lakhs (un-audited) during 1992-93.

The High Level Committee (HLC) constituted to study factors responsible for unsatisfactory working of the Nalkata Plant found that the operations were affected mainly due to the fact that the parameters envisaged in regard to input/out-put ratio could not be achieved by the unit. There was also increase in pre-operative expenses because of time over-run and under utilisation of the installed capacity. Further, no sales subsidy was being made available to NERAMAC, although envisaged in the Project.

Pursuant to various recommendations made by the High Level Committee, steps have been initiated to revitalise the plant by diversifying its activities.

The staff strength in position as on 31.12.93 was 73 as against the sanctioned strength of 160 posts. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees on this date was 6 and 12 respectively.

फल एवं सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र (हरियाणा) में महिलाओं का प्रशिक्षण
Training of women at the FPTC plant in Haryana.

हरियाणा में खुम्बी उत्पादन फैक्ट्री
A mushroom production plant in Haryana.

FPO